28

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति
(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

इस्पात मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ चैत्र,1944(शक)

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति
(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

इस्पात मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

22.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
22.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ चैत्र,1944(शक)

सीसीएंड एस सं.

मूल्यः

©2022 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित (.....संस्करण)
तथा .....द्वारा मुद्रित

विषय सूची

		पृष्ठ
	समिति की संरचना.....	(i)
	प्राक्कथन.....	(v)
अध्याय एक	प्रस्तावना.....	3
अध्याय दो	अनुदानों की मांगों (2022-23) का विश्लेषण.....	8
अध्याय तीन	इस्पात क्षेत्र की पहलें	17
अध्याय चार	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का योजनागत निवेश और कार्य-निष्पादन	25
	क. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)	34
	ख. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	38
	ग. एनएमडीसी लिमिटेड	44
	घ. केआईओसीएल लिमिटेड	48
	ङ. एमओआईएल लिमिटेड	50
	भाग-दो	
	कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशें.....	53
	अनुबंध	
एक.	कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 22.02.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	71
दो.	*कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 21.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	

* संलग्न नहीं है।

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री राकेश सिंह - सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायणधानोरकर
3. श्री विजय कुमार हांसदाक
4. श्री कुनार हेम्ब्रम
5. श्री सी. पी. जोशी
6. श्री सौमित्र खान
7. श्री सी. लालरोसांगा
8. श्री एस. मुनिस्वामी
9. श्री अजय निषाद
10. श्री बसंत कुमार पांडा
11. श्रीमती रीती पाठक
12. श्री एस.आर.पार्थिबन
13. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
14. श्री चुन्नी लाल साहु
15. श्री अरुण साव
16. श्री पशुपति नाथ सिंह
17. श्री सुनील कुमार सिंह
18. श्री सुशील कुमार सिंह
19. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
20. डॉ.तिरुमावलवनथोल
21. श्री अशोक कुमार यादव#

राज्य सभा

22. श्री सुब्रत बक्शी
23. डॉ. विकास महात्मे
24. डॉ. प्रशांत नन्दा
25. श्री राम विचार नेताम
26. श्री समीर उरांव
27. श्री दीपक प्रकाश
28. श्री धीरज प्रसाद साहू
29. श्री शिबू सोरेन
30. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी
31. श्री बी. लिंगैय्या यादव

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा	-	निदेशक
3. श्री उत्तम चन्द भारद्वाज	-	अपर निदेशक
4. श्रीमती सविता भाटिया	-	उप सचिव

डॉ.लोरहो एस. फोज के स्थान पर दिनांक *07.02.2022* से समिति के लिए नामनिर्दिष्ट

प्राक्कथन

मैं, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' विषयक समिति का यह अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 07.02.2022 को सभा पटल पर रखी गयीं थीं। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना होता है और उन पर संसद की दोनों सभाओं में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होते हैं ।

3. समिति ने 22.02.2022 को हुई अपनी बैठक में इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया ।

4. समिति ने 21.03.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, समिति के समक्ष अपने लिखित उत्तर प्रस्तुत करने में सहयोग देने और सुविचारित मत तथा अवधारणा प्रस्तुत करने हेतु कोयला मंत्रालय के अधिकारियों का आभार व्यक्त करती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
21 मार्च, 2022
30 फाल्गुन, 1943 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन
भाग-एक
अध्याय-एक
प्रस्तावना

इस्पात क्षेत्र रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के मामले में राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आपूर्ति श्रृंखला और उपभोग उद्योग पर प्रत्यक्ष और संबद्ध दोनों प्रभावों से उत्पन्न समग्र अर्थव्यवस्था पर उत्प्रेरक प्रभाव पड़ता है।

1.2 एक जीवंत घरेलू इस्पात उद्योग विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है क्योंकि यह निर्माण, बुनियादी ढांचे, मोटर वाहन, पूंजीगत सामान, रक्षा, रेलवे इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण इनपुट है। इस्पात भी त्वरित आर्थिक विकास के लिए इसकी पुनः प्रयोज्य प्रकृति और तेजी से संबद्ध पूर्णता समय के लिएसंचालक साबित हुआ है । भारत चीन के बादविश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है।

1.3 इस्पात मंत्रालय के मुख्य कार्य है:

- राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना।
- इस्पात उद्योग के लिए घरेलू और विदेशी स्रोतों से कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता को सुगम बनाना।
- इस्पात उद्योग के विभिन्न खंडों के लिए एक व्यापक डेटा बेस तैयार करना और अद्यतन करना।

- सीपीएसई के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन और परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय की निगरानी करना।
- समझौता ज्ञापनों और सीपीएसई के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धताओं के निष्पादन की निगरानी करना।
- अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग के निष्पादन में सुधार को सुगम बनाना।
- तकनीकी-आर्थिक मानकों में गुणवत्ता नियंत्रण और सुधार।
- प्रोत्साहन प्रयासों के माध्यम से इस्पात की घरेलू मांग को बढ़ावा देना।

मंत्रालय की भूमिका

1.4 सचिव, इस्पात मंत्रालय ने अनुदान की मांगों 2022-2023 संबंधी मौखिक साक्ष्य के दौरान नोडल मंत्रालय की भूमिका को समिति के समक्ष निम्नवत बताया:-

> "इस्पात मंत्रालय की भूमिका यह है कि इस्पात क्षेत्र में निजी क्षेत्र के संयंत्र हैं, सरकारी क्षेत्र में संयंत्र हैं, एक छोटा क्षेत्र है, जिसे इस्पात के संदर्भ में एसएसआई कहा जाता है। इस संदर्भ में, मंत्रालय मिश्र धातु इस्पात मिलों, फेरो मिश्र धातु मिलों, दुर्दम्य इकाइयों आदि के विकास और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए समन्वय कर रहा है। हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं ताकि इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जा सके।"

1.5 इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमनिम्नलिखित हैं-:

1. स्टीलअथॉरिटीऑफइंडियालिमिटेड (सेल), नईदिल्ली
2. राष्ट्रीयइस्पातनिगम लिमिटेड (आरआईएनएल), विशाखापट्टनम
3. एनएमडीसीलिमिटेड, हैदराबाद
4. मॉयललिमिटेड, नागपुर
5. केआईओसीएललिमिटेड, बंगलौर
6. मेकॉनलिमिटेड, रांची

7. एमएसटीसीलिमिटेड, कोलकाता

नोट: बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (ओएमडीसी, बीएसएलसी और ईआईएल) आरआईएनएल की सहायक कंपनियाँ हैं; एफएसएनएल एमएसटीसी की सहायक कंपनी है; और एसआरसीएल सेल की सहायक कंपनी है।

1.6 इस्पात मंत्रालय ने समिति को इस बात से अवगत कराया है कि इस्पात एक गैर-विनियमित क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है। इस्पात उत्पादन में वृद्धि से संबंधित निर्णय तकनीकी-वाणिज्यिक विचार के आधार पर अलग-अलग कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं। इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात सार्वजनिक उपक्रमों को कोई विशेष प्रोत्साहन/लाभ प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना नहीं थी। यह देखा गया है कि 2017, 2018 और 2019 के दौरान तैयार इस्पात की खपत क्रमशः 88.679 मिलियन टन, 96.737 मिलियन टन और 102.622 मिलियन टन रही है। 2020 के दौरान, तैयार इस्पात की (अनंतिम) खपत 88.535 मिलियन टन रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (सीपीएलवाई) की तुलना में 13.71 मिलियन टन कम है।

1.7 वर्ष 2022-23 के लिए मांग संख्या 97 को बजट सत्र के दौरान इस्पात मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया है। कुल माँग 47 करोड़ रुपये की है तथा संपूर्ण प्रावधान मंत्रालय के राजस्व व्यय के लिए है।इस माँग में सचिवालय व्यय के लिए 40.51 करोड़ रुपये, 4.49 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए और 2 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र संबंधी अन्य व्यय के लिए है।

1.8 इस्पात मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों *(2022-23)* को *07.02.2022* को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जबकि इस्पात मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों का विश्लेषण करते हुए, समिति ने वर्तमान प्रतिवेदन में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की जांच की है। मंत्रालय और

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। विभिन्न मुद्दों पर समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदनके अगले अध्यायों में दिया गया है।

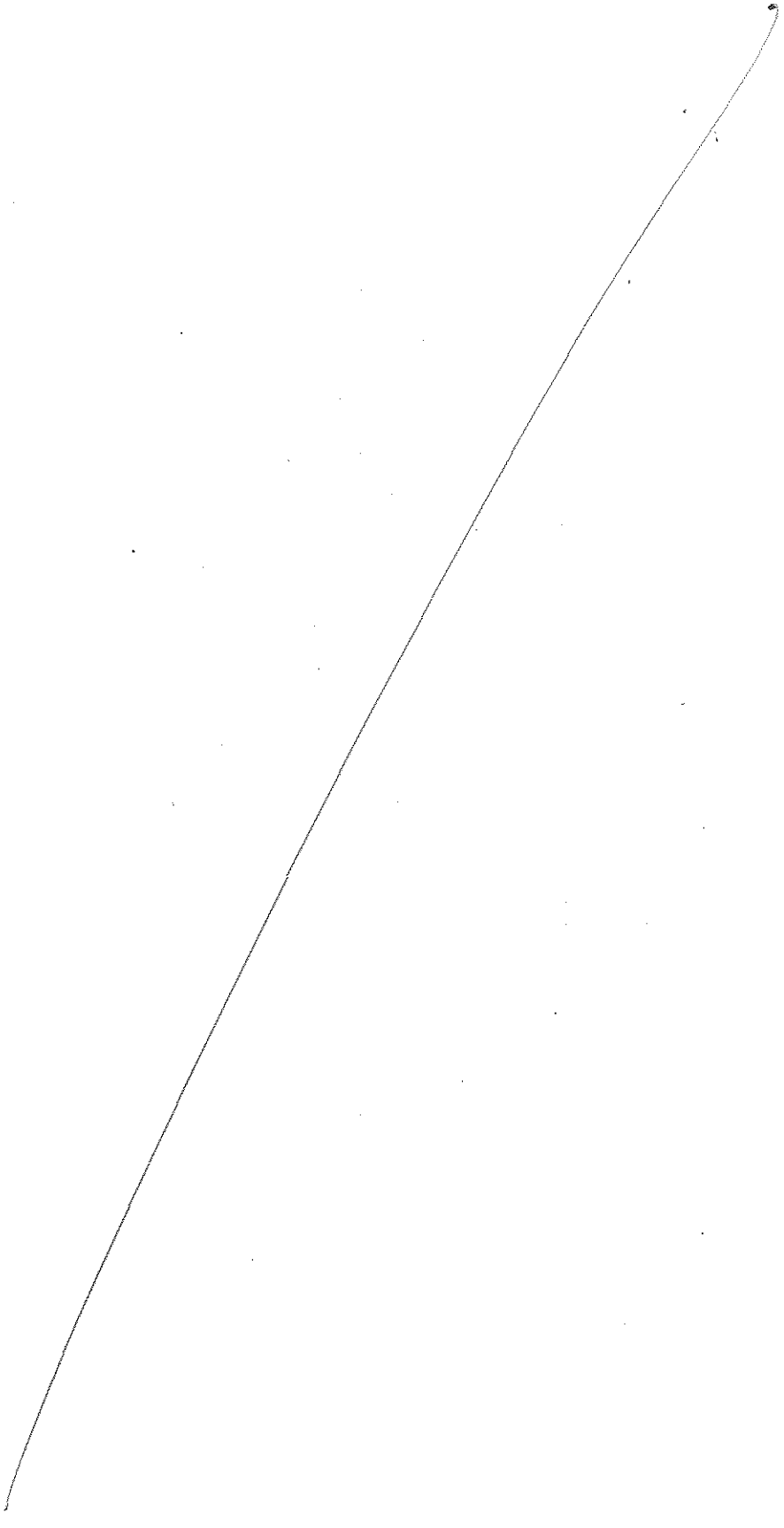

अध्याय-दो

अनुदानों की मांगों का विश्लेषण

2.1 विगत तीन वर्षों मेंअनुदानों की मांगों अर्थात विभिन्न मदों में वृद्धि/कमी का विश्लेषण निम्नवत है:

व्यय का शीर्ष	ब.प्रा. 2019-20	सं.प्रा. 2019-20	वास्तविक 2019-20	ब.प्रा 2020-21	सं.प्रा. 2020-21	वास्तविक 2020-21	ब.प्रा2021-22	सं.प्रा. 2021-22	वास्तविक 2021-22 (10.02.2022 तक)	ब.प्रा 2022-23	ब.प्रा. 2021-22 की तुलना में ब.प्रा. 2022-23 में कमी/बढ़ोतरी का %
सचिवालय											
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	34.54	34.54	32.90	38.58	29.34	29.06	32.78	36.73	29.04	40.51	23.58%
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं											
लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन हेतु योजना	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	0.54	5.00	4.81	2.71	4.49	-10.20%
अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय											
विज्ञापनप्रचार (आईसी), योगदान (ओईसीडी सदस्यता), विशिष्ट धातुवैज्ञानिकों को पुरस्कार आदि	191.75	146.54	146.43*	46.42	45.10	44.71*	1.47	1.46	0.16	2.00	36.05%
समग्र योग	241.29	196.08	194.33	100.00	79.44	74.31	39.25	43.00	31.91	47.00	19.75%

*केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय के अंतर्गत 144.83 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2019-20 में और 44.24 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2020-21 में आवंटित किया गया था। इसे इस्पात अनुसंधान अस्पताल (आईजीएच), राउरकेला के उन्नयन के लिए सेल को जारी किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 तक आईजीएच के लिए कुल निधि जारी की गई है। अतः बजट प्राक्कलन 2021-22 से कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

वर्ष 2022-23के लिए बजटीय आबंटन

2.2 बजट अनुमान 2022-23 में मांग संख्या 97 में शामिल निधि की कुल वित्तीय आवश्यकताओं को निम्न तालिकामें संक्षिप्त रूप से दिया गया है: -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष 2022-23 के लिए माँग सं. 97	बजट अनुमान2022-23			
	योजना	स्थापना संबंधी व्यय	अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय	कुल
राजस्व खंड	4.49	40.51	2.00	47.00
पूँजी खंड	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (सकल)	4.49	40.51	2.00	47.00

2.3 इस्पात मंत्रालय के लिए 47.00 करोड़ रुपये का कुल बजट परिव्यय किया गया है तथा संपूर्ण प्रावधान मंत्रालय के राजस्व व्यय के लिए है।इस स्वीकृत बजट परिव्यय में सचिवालय व्यय के लिए 40.51 करोड़ रुपये, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए 4.49 करोड़ रुपये और अन्य केन्द्रीय क्षेत्र संबंधी व्यय के लिए 2 करोड़ रुपये शामिल है।

2.4 वर्ष 2022-23 हेतु इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी सीपीएसई की वार्षिक योजना (आईईबीआर) का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

(करोड़ रुपये में)

सं.	पीएसयू का नाम	ब.प्रा. 2022-23		
		आईईबीआर	बजटीय सहायता	कुल
1	सेल	8000.00	0.00	8000.00
2	आरआईएनएल	910.00	0.00	910.00
3	एनएमडीसीलिमिटेड	3512.00	0.00	3512.00
4	केआईओसीएललिमिटेड	384.63	0.00	384.63
5	मॉयललिमिटेड	304.58	0.00	304.58
6	मेकॉनलिमिटेड	17.25	0.00	17.25
7	एमएसटीसीलिमिटेड	10.00	0.00	10.00
8	एफएसएनएल $	18.00	0.00	18.00
	कुल	13156.46	0.00	13156.46

$एफएसएनएल, एमएसटीसी लि. की सहायक कंपनी है।

अनुसंधान और विकास योजना

2.5 यह बताया गया है कि मंत्रालय की केवल एक योजना नामतः 'लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) का संवर्धन' है।11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लोहा और इस्पात उद्योग के कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2009-10 में इस योजना की शुरुआत की गई थीऔर तत्पश्चात इस योजना को आगे जारी रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य देश में लोहा और इस्पात क्षेत्र की आरएंडडी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरएंडडी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना को 31 मार्च, 2021 से आगे 5 वर्ष (2021-22से 2025-26 तक) की अवधि तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। इस्पात मंत्रालय इस्पात उद्योग के समक्ष आए गुणवत्ता और प्रौद्योगिकीय मुद्दों का समाधान करने के लिए इस योजना का संचालन कर रहा है।

2.6 समिति को यह बताया गया है कि योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 हेतु लक्ष्य कोविड-19 महामारी के दौरान अनुमान से कम व्यय होने के कारण प्राप्त नहीं हो सके। वित्त वर्ष 2021-22 (10.02.2022 तक)में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय 2.71 करोड़ रुपये है और वित्तीय वर्ष का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है।योजना के लिए वर्ष 2022-23 के लिए कुल परिव्यय ₹ 4.49 करोड़ है। निर्धारित धनराशि का उपयोग अनुसंधान एवं विकास योजना के चिन्हित क्षेत्रों के अनुसार चल रही परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ नई परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाएगा।

2.7 यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के लिए निर्धारित निधि का उपयोग करने का प्रस्ताव कैसे करता है, इस्पात मंत्रालय ने बताया कि निर्धारित धन

का उपयोग अनुसंधान एवं विकास योजना के चिन्हित क्षेत्रों के अनुसार नई परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा। नए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन हैं। इसके अलावा, निर्धारित निधि का उपयोग चल रही परियोजनाओं के लिए भी किया जाएगा।

2.8 समिति कोयह भी बताया गया है कि इस्पात मंत्रालय ने भविष्य में केवल उन्हीं अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है,जिनमें व्यावसायीकरण के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए उद्योग भागीदारों की भागीदारी और वित्तपोषण होगा।मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन और वित्तपोषण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी वेबसाइट के माध्यम से हितधारकों से नए अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव मांगे हैं।

2.9 यह पूछे जाने पर कि इस योजना के तहत 2021-22 के दौरान प्राप्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना और इस्पात मंत्रालय द्वारा उन अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा प्रस्तुत करें,इस्पात मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति को बताया है कि 2021 के दौरान छत्तीस अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे- 22 जिनका मूल्यांकन मूल्यांकन समूह द्वारा किया गया था। इनमें से, मूल्यांकन समूह ने पांच परियोजनाओं की सिफारिश की है जो विचाराधीन हैं। इनके अलावा, आवास में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के एक और प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

2.10 समिति को इस बात से अवगत कराया गया है कि अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय के अंतर्गत प्रावधान सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए है; ओईसीडी/जीएफएसईसी के लिए सदस्यता शुल्क; और विशिष्ट धातुकर्मज्ञों के लिए पुरस्कार। आईईसी के तहत इस्पात मंत्रालय के कार्यक्रमों और नीतियों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्रबंधन सेवा को किराए पर लेने में

शामिल होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है।

2.11 उपरोक्त तालिका (para 2.1) से यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के दौरान शीर्ष के तहत आवंटित बजट 1.47 करोड़ रूपए था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 1.46 करोड़रूपए कर दिया गया था और वास्तविक उपयोग 0.16 करोड़ रूपए(फरवरी,2022 तक) किया गया था।

इस्पात का उत्पादन – वास्तविक लक्ष्य

2.12 वर्ष 2020 और 2021 के दौरान(**कुल तैयार इस्पात**) के लिए उत्पादक - वार (अग्रणी उत्पादक) के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

तैयार इस्पात का उत्पादन (क्रूड इस्पात समतुल्य) (नॉन-अलॉय और अलॉय इस्पात)		
		('000 टन)
उत्पादक	2020	2021 (अ)
स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	11,024	13,428
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2,522	3,884
क. कुल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	**13,546**	**17,312**
टीएसएल समूह	16,723	18,587
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	6,524	7,314
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	13,836	15,604
ज़िंदल स्टील और पावर लिमिटेड	4,030	5,140
अन्य उत्पादक	37,571	47,901
ख. कुल निजी क्षेत्र	**78,685**	**94,546**
कुल उत्पादन (क+ख)	**92,231**	**1,11,858**
अअनंतिम आंकड़ों का निरूपक है; स्रोत: जेपीसी		

2.13 मंत्रालय ने इस्पात पीएसयूज और निजी क्षेत्र द्वारा 2020-21 और 2021-22 के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन के आंकड़े समिति को निम्नानुसार बताए हैं:

क्रूड इस्पात उत्पादन

('000 टनमें)

उत्पादक	अवधि	
	2020-21	अप्रैल-जनवरी 2021-22*
क. सार्वजनिक क्षेत्र		
सेल	15213	14305
आरआईएनएल	4302	4492
उप-योगक	**19515**	**18797**
ख. निजी क्षेत्र		
टीएसएल समूह	17204	15823
एएम / एनएस (एस्सार) + जेएसडब्ल्यू + जेएसपीएल	28335	26260
अन्य	38491	37511
उप-योगख	**84030**	**79593**
कुल उत्पादन (क+ख)	**103545**	**98390**
पीएसयू का शेयर %	18.8	19.1

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

2.14 समिति को बताया गया है कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017,के अनुरूप ,जिसमें वर्ष 2030 तक भारत में कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 300मिलियन टन करने की परिकल्पना की गई थी ,सेल के निदेशक मंडल ने "सैद्धांतिक रूप से "विजन 2030को मंजूरी दे दी है जिसमें 31-2030तक चरणवार तरीके से सेल की कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता को 49.6मिलियन टन प्रति वर्ष विस्तारित करने की परिकल्पना की गई है।साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय ने आगे कहा कि 2047 तक इस्पात के उत्पादन को 500 मिलियन टन तक बढ़ाने के

साथ-साथ देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत में चार गुना वृद्धि लाने की परिकल्पना की जा रही है।

2.15 वर्ष2020 और 2021 के दौरान कुल तैयार इस्पात के उत्पादन, आयात और निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (अलॉय + नॉन अलॉय) (मिलियन टन या एमटी)		
	उत्पादन	आयात	निर्यात
2020	92.231	4.463	10.150
2021*	111.858	5.001	12.799
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम			

2.16 समिति को यह अवगत कराया गया है कि 2019 और 2020 के दौरान भारत आयात से अधिक निर्यात के साथ कुल तैयार इस्पात (टीएफएस) का शुद्ध निर्यातक रहा है। 2019 के दौरान, 7.440 एमटीइस्पात का आयात किया गया और 8.205 एमटीका निर्यात किया गया और 2020 में 12.8 एमटीका निर्यात किया गया जबकि केवल 5 एमटीका आयात किया गया।

2.17समिति के समक्ष उपस्थित होते हुए, सचिव, इस्पात मंत्रालय ने आगे निम्नानुसार सूचित किया: -

"पिछले साल उठाए गए कदमों के कारण इस्पात के उत्पादन में अभूतपूर्व परिणाम देखे गए हैं ... पिछले वर्ष (अर्थात2020) में कुल 108 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन दर्ज किया गया था ... 17 मिलियन टन के बेंचमार्क को सेल ने कभी भी पार नहीं किया। सेल ने पिछले कैलेंडर वर्ष

में भी 17.32 मिलियन टन का उत्पादन किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही देश में हमारी खपत 106 मिलियन टन है। मंत्रालय ने 12.8 मिलियन टन का निर्यात किया है और 5 मिलियन टन का आयात किया है। इस तरह पूरे साल में इस सेक्टर ने अभूतपूर्व काम किया है..."

....कि पिछला एक साल इस्पात क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व रहा है। कैलेंडर वर्ष में कुल 118 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया गया है। पिछले साल उठाए गए कदमों के चलते यह रिकॉर्ड उत्पादन है। "

<u>प्रति व्यक्ति खपत</u>

2.18 हालांकि, सचिव ने देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत की तुलना की, जो स्पष्ट रूप से कोरिया के साथ कम है, और आगे बताया कि:

"वर्तमान में भारत इस्पात के कुल विश्व उत्पादन का 6% उत्पादन करता है। प्रति व्यक्ति खपत 74 किलोग्राम प्रति वर्ष है जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। कोरिया में प्रति व्यक्ति इस्पातकी खपत लगभग 700 किलोग्राम प्रति वर्ष है...।"

2.19 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2020 और 2021 के दौरान उपभोग किए गए तैयार इस्पात की वास्तविक मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	कुल तैयार इस्पात (अलॉय + नॉन अलॉय) खपत
	(मिलियन टन या एमटी)
2020	89.331
2021*	106.134
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम	

2.20 इस्पात की खपत मुख्य रूप से देश में हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन (*43%*), इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (*25%*), इंजीनियरिंग एंड पैकेजिंग (*22%*), ऑटोमोटिव (*9%*) और डिफेंस (*1%*) जैसे

ग्रोथ ड्राइविंग सेक्टर्स में होती है। वर्ष *2020* के दौरान देश में इस्पात की कुल खपत *100.2* मिलियन टन थी। पिछले *07* वर्षों में कुल मिलाकर इस्पात की मांग *5.3%* की सीएजीआर से बढ़ी है। हालांकि, भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत *74.1* किलोग्राम है जो वैश्विक औसत *224.5* किलोग्राम का एक तिहाई है। इसके अलावा, भारत की ग्रामीण प्रति व्यक्ति खपत *19* किलोग्राम प्रति वर्ष राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

2.21. साक्ष्य के दौरान, समिति को सूचित किया गया था कि 2047 तक, मंत्रालय देश की प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को 74 किलोग्राम से 250 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करने के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण प्रति व्यक्ति खपत के बीच की खाई को पाटने की कल्पना करता है, जो वर्तमान में है जो70:19 के अनुपात में है।

अध्याय-तीन

इस्पात क्षेत्र की पहल

3.1 समिति को इस बात से अवगत कराया गया है कि देश में इस्पात क्षेत्र के निष्पादन को प्रोत्साहित करने, गति देने और विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं। एक 'विजन **2030**' योजना को साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया गया था:

मांग की उत्पत्ति:

• भारत की प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत **70** कि.ग्रा/व्यक्ति से तिगुनी होकर **250** कि.ग्रा/व्यक्ति।

• चौगुनी घरेलू खपत **96** मीट्रिक टन से लगभग **400** मीट्रिक टन ।

• शहरी और ग्रामीण प्रति व्यक्ति खपत के बीच की खाई को पाटने के लिए (वर्तमान में अनुपात **70:19** है ।)

क्षमता वृद्धि

• संस्थापित क्षमता को तिगुना करके **144**एमटी से **500** एमटी. किया जाए ।

• वैश्विक इस्पात उत्पादन का **20%** पर कब्जा

जलवायु कार्रवाई

• कार्बन तटस्थता और हरित इस्पात उत्पादन हासिल करना।

• ग्रीन हाइड्रोजन, सीसीयूएस (कार्बन कैप्चर यूसेज एंड स्टोरेज), अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

• स्क्रैप उपयोग में वृद्धि के माध्यम से परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ।

<u>कच्चे माल की सुरक्षा</u>

• बढ़े हुए उत्पादन, अन्वेषण, डिजिटीकरण और लाभकारी के माध्यम से प्राथमिक कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करना।

• कोकिंग कोल का आयात कम करें

<u>अनुसंधान, डिजाइन, विकास</u>

• नवाचार और अनुसंधान के पर्यावरण को बढ़ावा देना

• डिजाइन, निर्माण, उत्पाद विकास, ऊर्जा दक्षता, डीकार्बोनाइजेशन आदि में वैश्विक सहयोग के साथ केंद्र/संस्थान का विकास करना।

<u>दक्ष करना</u>

• उच्च गुणवत्ता और विशिष्ट इस्पात के उत्पादन के लिए कुशल जनशक्ति का विकास करना।

3.2 यह पूछे जाने पर कि इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात सार्वजनिक उपक्रमों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों/लाभ क्या है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि इस्पात एक वि-विनियमित क्षेत्र होने के कारण, क्षेत्र के विकास के लिए सर्मथित माहौल तैयार करके सरकार एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है। इस्पात उत्पादन में वृद्धि से संबंधित निर्णय तकनीकी-वाणिज्यिक विचार के आधार पर अलग-अलग कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं।

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

3.3 इस्पात मंत्रालय नेयह भी बताया है कि **विशेष इस्पात के लिएउत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना** शुरू की है जिसमें इस्पात पीएसयू भी आवेदन कर सकते हैं।यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 6,322 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित होनी है। विशेष ग्रेड इस्पात के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य देश के भीतर इस प्रकार के इस्पात ग्रेड के निर्माण को बढ़ावा देना है। पीएलआई प्रोत्साहन 'विशेष इस्पात' के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा और देश में 'विशेष इस्पात' के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करेगा।यह भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी के मामले में परिपक्व बनाने के साथ-साथ मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा।

3.4 यह पूछे जाने पर कि सार्वजनिक और निजी इस्पात क्षेत्र इस योजना के तहत प्रदान किए गए 6322 करोड़ रूपए के परिव्यय का उपयोग करने की योजना कैसे बना रहा है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि विभिन्न श्रेणियों के तहत लागू प्रोत्साहन लाभ प्राप्त करने के लिए इस्पात कंपनियों को पीएलआई योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना है। । प्रोत्साहन राशि वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक निम्नलिखित वर्ष-वार परिव्यय के साथ जारी की जाएगी:

वित्त वर्ष	**परिव्यय (रूपए करोड़ में)**
2024-25	775
2025-26	1088
2026-27	1394
2027-28	1377
2028-29	1293
2029-30	222

2030-31	173
कुल	8322

प्रोत्साहन पात्र कंपनियों को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धिशील उत्पादन के लिए देय होगा, बशर्ते ऐसा उत्पादन प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए निर्धारित पात्र सीमा से अधिक और भारत में निर्मित और पीएलआई योजना के तहत कवर किए गए 'विशेष इस्पात' के लिए प्रतिबद्ध योग्य निवेश सीमा में उपलब्धि हो।

3.5 यह बताया गया है कि **परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी)** विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी (पीएलआई) जैसे संभावित निवेशकों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन को बढ़ावा देने और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कदम उठाने सहित इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने में लगा हुआ है।पीडीसी, इस्पात मंत्रालय ने कई वैश्विक इस्पात कंपनियों / निवेशकों की पहचान की और उन तक पहुंच बनाई, जिनमें से 2.6 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश ब्याज 3 कंपनियों नामतः एनएलएमके (रूस), कोस्टल कतर (कतर) और कोनारेस (यूएई) से प्राप्त हुआ था।एनएलएमके और कोस्टल कतर के पास डाउनस्ट्रीम इस्पात प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की योजना है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कोनारेस भारत में ग्रीनफील्ड इस्पात परियोजना स्थापित करने की योजना का मूल्यांकन कर रहा है।

इस्पात आयात निगरानी प्रणाली(एसआईएमएस)

3.6 **एसआईएमएस**सरकार और हितधारकों सहित इस्पात उद्योग (उत्पादकों), इस्पात उपभोक्ताओं (आयातकों) को प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए इस्पात आयात के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करने के लिए संस्थागत रूप दिया गया है। यहएक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है,ताकि इस्पात के आयात पर 15-60दिन पहले विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराएं जा सके।आयात

खेप के लिए दिनांक 16 सितंबर, 2019 को एसआईएमएसप्लेटफॉर्म शुरू किया गया था जो पोर्ट ऑफ एंट्री पर दिनांक 1 नवंबर, 2019 के प्रभाव से प्रारंभ हुआ।एसआईएमएसपंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन है और बिना किसी हस्तक्षेप के स्वचालित है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित टोकन पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद इस्पात आयातक द्वारा पंजीकरण संख्या प्राप्त की जा सकती है।एसआईएमएसने घरेलू उद्योग को अपने मूल्य निर्धारण और उत्पादन रणनीति की योजना बनाने में सक्षम बनाया है और देश को इस्पात निर्माण में *आत्मनिर्भर भारत* की ओर बढ़ने में मदद की है।

<u>घरेलू रूप से उत्पादित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड -एसपी)नीति</u>

3.7 सरकार ने सरकारी निविदाओं में घरेलू रूप से उत्पादित लौह और इस्पात सामग्री को वरीयता प्रदान करने के लिए दिनांक 8 मई, 2017 को डीएमआई एंड-एसपी नीति पेश की थी, जिसे दिनांक 29 मई, 2019 और दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को संशोधित किया गया था।नीति की परिकल्पना घरेलू इस्पात उद्योग की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। डीएमआई और एसपी नीति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस्पात की बिक्री बढ़ाने में मददगार रही है।सेल सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित परियोजनाओं के लिए तेल और गैस खंड में एपीआई ग्रेड इस्पात जैसी विशिष्ट श्रेणियों में अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा है। यह घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' के विजन को भी पूरा करना चाहता है।

3.8 समिति को यह भी सूचित किया गया है कि इस्पात मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों जैसे रेलवे, रक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, नागरिक उड्डयन, कृषि, ग्रामीण विकास के साथ काम कर रहा है ताकि उनके संबंधित क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग बढ़ाया जा सके। इसके लिए, तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात के उपयोग को बढ़ाने और इस्पात पुलों के

डिजाइन के लिए अधिदेश के साथ एक समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, आवास और निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का भी गठन किया गया है।

<u>कोकिंग कोल</u>

3.9 समिति को यह बताया गया है कि कोकिंग कोल की पूरी मांग घरेलू उत्पादन से पूरी नहीं होती है क्योंकि देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले/कोकिंग कोल (लो-ऐश-कोयला) की आपूर्ति सीमित है।तदनुसार, भारतीय इस्पात उद्योग काफी हद तक आयातित कोकिंग कोल पर निर्भर रहा है।देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित अधिकांश कोकिंग कोयले में राख की मात्रा बहुत अधिक थी, जिससे इस्पात के निर्माण में यह व्यर्थ हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 में 51.83 एमटी और 2020-21 में 51.20 एमटी कोकिंग कोल का आयात हुआ।

3.10 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोकिंग कोल इस्पात उत्पादन में 42% का एक प्रमुख लागत कारक है, इस्पात मंत्रालय आयात स्थलों में विविधता लाकर कोकिंग कोल पर आयात बिल को कम करने का प्रयास कर रहा है।इस्पात निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोल संबंधित सहयोग पर भारत सरकार के इस्पात मंत्री और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्री द्वारा दिनांक 14.10.2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।एमओयू से कोकिंग कोल के स्रोतों में विविधता आने से भारतीय इस्पात क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे भारत को उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल की आपूर्ति (2035 तक 40 एमटी तक) की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के कारण इस्पात कंपनियों के लिए इनपुट लागत में कमी आ सकती है। इस समझौता ज्ञापन में कोकिंग कोल क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं/वाणिज्यिक गतिविधियों के कार्यान्वयन की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें कोकिंग कोल डिपोजिट का विकास और

लॉजिस्टिक्स विकास, कोकिंग कोल उत्पादन प्रबंधन में अनुभव साझा करना, खनन की तकनीक, बेनिफिसिएशन, प्रसंस्करण के साथ-साथ प्रशिक्षण भी शामिल है।इसके अलावा, समझौता ज्ञापन में दोनों देशों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, सेल और आई.पी. बार्डिन टसनलचरमेट के बीच, जेएसपीएलऔर टसनलचरमेटआई.पी. बार्डिन के बीच तथा जेएसडब्लूस्टील लिमिटेड और टसनलचरमेटआई.पी. बार्डिनके बीच सहयोग के 3 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सब्सिडी सहायता

3.11 इसके अलावा, इस्पात सीपीएसई के संबंध मेंमंत्रालय 'सरकारी कार्गो के आयात के लिए वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को सब्सिडी सहायता प्रदान करने के लिए भारत में व्यापारिक जहाजों को इंगित करने को बढ़ावा देने' के लिए पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सरकार द्वारा अनुमोदित योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है।

ग्रीन स्टील

3.12 ग्रीन स्टील उत्पादन में चुनौतियां निम्नानुसार प्रस्तुत की गईं:

ग्रीन हाईड्रोजन	नवीकरणीय ऊर्जा	स्क्रैप उपलब्धता	अन्य मुद्दे
इस्पात उत्पादन में एच2 के उपयोग की प्रक्रिया परीक्षण चरण में है। प्रतिस्पर्धी लागत पर हरे एच2 के उत्पादन की तकनीक अभी उपलब्ध नहीं है। ग्रीन एच2 के उत्पादन, परियहन और भंडारण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र यर्तमान में विकसित नहीं हुआ है।	इस्पात उत्पादन में 22%ग्रीनिंग के लिए सबसे व्ययहार्य मार्गमौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों से आरई. में स्विच करने के लिए आवश्यक पूंजी निवेश सौर और पवन संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता एक मुद्दा है ।	चक्रिय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कच्चे माल की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकयर्तमान स्क्रैप उपलब्धता केवल 28एमटी प्रति वर्षहै बढी हुई खपत से जुड़ी उपलब्धता में वृद्धिस्क्रैप गुणवता और उच्च परिवहन लागत सीमित कारक हैं।	कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण: बीएफ/बीओएफ मार्ग के लिए सीसीएसयू के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है । प्राकृतिक गैस : घरेलू उपलब्धता और गैस की लागत एक बड़ी बाधा है।

मौखिक साक्ष्य के दौरान, सचिव, इस्पात मंत्रालय ने समिति के समक्ष निम्नानुसार बताया: -

"... इस्पात की खपत स्क्रैप उत्पन्न करती है, जो ग्रीन स्टील बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक यह देश कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। उसी के अनुरूप हम इस योजना को आकार दे रहे हैं कि हम ग्रीन स्टील का उत्पादन कैसे करेंगे और उसका उत्सर्जन कैसे करेंगे। इस्पात क्षेत्र सभी उद्योगों में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन उत्सर्जन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात उद्योग द्वारा 12 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन प्रदान किया जाता है। प्रति मिलियन टन लगभग 1.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन बिजली क्षेत्र, फिर सीमेंट और फिर इस्पात द्वारा किया जाता है।

3.13 समिति को आगे बताया गया कि 'ग्रीन स्टील' का उत्पादन इस्पात क्षेत्र के लिए भी एक चुनौती है क्योंकि 2026 तक यूरोप केवल 'ग्रीन स्टील' का आयात करेगा और अन्य प्रकार के कार्बन टैक्स को आमंत्रित करेंगे। ऐसी स्थिति इस्पात उद्योग के लिए एक व्यावसायिक चुनौती होगी।

अध्याय-चार

योजना निवेश और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

4.1 इस्पात मंत्रालय के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की चालूपरियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं को पीएसयूज द्वारा अपने संसाधनों और बैंकों से लिए गए ऋण से किया जाता है।

4.2इस्पात मंत्रालय मुख्य रूप से 150 करोड़ रूपए और उससे अधिक की लागत वाली पीएसयू की परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करता है। इन प्रमुख परियोजनाओं को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है।

4.3 विभिन्न सीपीएसई के 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान वित्तीय लक्ष्य (आईईबीआर) और उपयोग निम्नानुसार हैं: -

(रूपए करोड़ में)

सं.	पीएसयू का नाम	2018-19			2019-20			2020-21		
		लक्ष्य		उपयोग	लक्ष्य		उपयोग	लक्ष्य		उपयोग
		बप्रा	संप्रा		बप्रा	संप्रा		बप्रा	संप्रा	
1.	सेल	4000.00	4300.00	4303.00	4000.00	4000.00	4114.00	4000.00	4800.00	4283.00
2.	आरआईएनएल	1400.00	1400.00	1917.75	1400.00	1377.00	1416.21	1385.00	534.00	737.37
3.	एनएमडीसी	3778.00	2083.00	2090.00	3010.00	1945.00	2491.00	1860.00	2249.00	2031.00
4.	केआईओसीएल	1782.44	338.00	19.98	317.00	317.00	21.93	285.00	340.00	41.05
5.	मॉयल	190.49	201.89	208.30	209.74	260.79	243.85	379.80	219.80	136.66
6.	एमएसटीसी	49.37	47.60	26.96	44.40	22.40	13.08	27.00	34.00	20.56
7.	एफएसएनएल	23.17	15.29	18.35	18.12	19.54	22.22	20.71	14.00	13.48
8.	मेकॉन	5.00	5.00	3.71	5.00	5.00	4.82	15.11	7.75	3.22
9.	ओएमडीसी	0.00	20.00	शून्य	0.00	6.00	0.02	0.00	71.01	0.02
10.	एसआरसीएल	6.93	6.93	2.07	15.00	5.66	0.63	4.00	0.50	0.34
सकल योग		**11235.40**	**8417.71**	**8590.12**	**9019.26**	**7958.39**	**8327.76**	**7976.62**	**8270.06**	**7266.70**

4.4 <u>वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आईईबीआर का उपयोग</u>

(रूपए करोड़ में)

सं.	पीएसयू/संगठन का नाम	2021-22 अनुमोदित आईईबीआर		वास्तविक व्यय 2021-22 (दिसंबर '21 तक)	सं.प्रा. 2021-22 के संबंध में दिसंबर, 2021 तक % उपयोग	सं.प्रा. 2021-22 के संबंध में 31.03.2022 तक संभावित उपयोग
		ब.प्रा.	सं.प्रा.			
1	सेल	8000.00	8000.00	4519.00	56.49	8000.00
2	आरआईएनएल	595.00	730.00	534.41	73.21	730.00
3.	एनएमडीसी लि.	3720.00	3720.00	1563.00	42.02	3720.00
4.	केआईओसीएल लि.	653.60	653.60	256.20	39.20	503.28
5.	मॉयल लिमिटेड	293.50	293.71	156.67	53.34	294.00
6.	मेकॉन लिमिटेड	12.50	12.50	6.45	51.6	12.50
7.	एमएसटीसी लिमिटेड	17.40	17.40	15.16	87.13	17.40
8.	एफएसएनएल $	10.00	11.00	10.54	95.82	11.00
9.	एसआरसीएल $	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
10.	ओएमडीसी $	0.00	0.00*	0.00	0.00	0.00
	कुल	**13302.00**	**13439.07**	**7061.43**	**52.54**	**13288.18**

*ओएमडीसी ने सूचित किया है कि ब.प्रा./सं.प्रा. 2021-22के लिए सभी सीपीएसई के आईईबीआर के पश्चात् अपने सं.प्रा. 2021-22 लक्ष्य 74.287 करोड़ रुपये पहले ही माननीय इस्पात मंत्री के अनुमोदन के बाद वित्त मंत्रालय को सूचित कर दिए गए हैं और यही बजट दस्तावेजों में प्रकाशित हो चुके हैं।

$ एफएसएनएल, एमएसटीसी लि. की सहायक कंपनी है।एसआरसीएल, सेल की सहायक कंपनी है। ओएमडीसी लि., आरआईएनएल की सहायक कंपनी है।

4.5 उपर्युक्तसे यह देखा जा सकता है कि सेल द्वारा बीई (2021-2022) के लिए निर्धारित 8000 करोड़ रूपएका आईईबीआर, इसने अब तक 8000 करोड़ रूपएके लक्ष्य कीतुलना में4519.00 करोड़रूपए (दिसंबर, 2021 तक) खर्च किया है। यह बताया गया है कि सीपीएसई के वित्त वर्ष के अंत तक लक्ष्य हासिल करने की संभावना है।

4.6वित्त वर्ष 2022-23के लिए इस्पात सीपीएसई के प्रस्तावित आईईबीआर और मंत्रालय में योजना के लिए परिव्यय निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	इस्पात मंत्रालय के सीपीएसईज	बी.अ 2022-23		
		आईईबीआर	बजटीय सहायता	कुल
1	सेल	8000.00	0.00	8000.00
2	आरआईएनएल	910.00	0.00	910.00
3	एनएमडीसीलिमिटेड	3512.00	0.00	3512.00
4	केआईओसीएललिमिटेड	384.63	0.00	384.63
5	मॉयललिमिटेड	304.58	0.00	304.58
6	मेकॉनलिमिटेड	17.25	0.00	17.25
7	एमएसटीसीलिमिटेड	10.00	0.00	10.00
8	एफएसएनएल $	18.00	0.00	18.00
	कुल	**13156.46**	**0.00**	**13156.46**

$एफएसएनएल एमएसटीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

4.7 सीपीएसईज़ ने निम्नलिखित को पूरा करने के लिए 2022-23 में आईईबीआर का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है: -

(एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल):

(करोड़ रुपये में)

शुरू किए जाने वाले प्रमुख क्रियाकलाप	**आवंटित परिव्यय**
निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए विचाराधीन हैं: 1.भिलाई इस्पात संयंत्र में स्टील मेल्टिंग शॉप-II में 3 कन्वर्टरों हेतु कन्वर्टर वेसल, ट्रूनियन रिंग्स सपोर्ट सिस्टम की प्रतिस्थापना तथा द्वितीयक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की संस्थापना 2. राउरकेला इस्पात संयंत्र में चौथे स्लैब कास्टर की स्थापना	8000.00

3. राउरकेला इस्पात संयंत्र में कोक ड्राई कूलिंग प्लांट तथा सह-उत्पाद संयंत्र सहित स्टांप चार्ज कोक ओवन बैटरी-7 की संस्थापना	
4.राउरकेला इस्पात संयंत्र में न्यू प्लेट मिल में सामान्यीकरण सुविधाओं की संस्थापना	
5.आरएसपी में शून्य तरल बहिस्राव योजनाओं के अंतर्गत शोधन प्रणाली-2	
6.बोकारो इस्पात संयंत्र में हॉट स्ट्रिप मिल की स्वचालित प्रणाली का उन्नयन	
7. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र नई बार मिल की संस्थापना	

(दो) **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल):**

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आवंटित परिव्यय
1	कोक ओवन बैटरी-5	300
2	फोर्ज्ड व्हील संयंत्र	85
3	सेंट्रल डिस्पैच यार्ड	14
4	ईएसपी के 4 बॉयलरों में सुधार	80
5	विस्तार - 6.3 एमटीपीए-माधाराम खदानें	0
6	बीएफ-1 और 2की कैट-I की कैपिटल रिपेयर	0
7	एसपी उत्पादकता वृद्धि	0
8	ट्विन एलएचएफ (एसएमएस -2)	0
9	एएमआर	228
10	लौह अयस्क खानों और कोयला खानों का अधिग्रहण	**
11	110 एमवीए ट्रांसफार्मर (एसएमएस -2)	3
12	सीवरेज जल का आंतरिक वितरण	5
13	सड़क के लिए बुनियादी सुविधाएं (जीपीएल)	8
14	पीसीआई कॉम्प्लेक्स के लिए नाइट्रोजन लाइन	3

15	व्यवहार्यता रिपोर्ट	1
16	सीओबी-6 (टीईएफआर)	3
17	पहले प्रदान किए गए अनुबंधों का फोरक्लोज़र	10
18	अन्य योजनाएं	10
19	आईएनडी एएस स्पेयर्स	100
20	अन्य कैपेक्स	60
21	एएसपी बीओओ	**
	कुल	**910**

**लौह अयस्क खानों तथा कोयला खानों, एएसपी बीओओ के अधिग्रहण के लिए अनुमान वास्तविक मूल्य के अनुसार होगा।

(तीन) एनएमडीसी लिमिटेड:

(करोड़ रुपये में)

परियोजनाओं का नाम	आवंटित परिव्यय
क. जारी योजनाएं	
छत्तीसगढ़ में 3 एमटीपीए इस्पात संयंत्र	1500
किरंदुल में तीसरा स्क्रीनिंग संयंत्र एवं लोडिंग सुविधाओं में वृद्धि	325
बछेली से नगरनार तक स्लरी पाइपलाइन	870
भंडार 5 में पाँचवीं स्क्रीनिंग लाइन तथा 310 डीएच कन्वेयर उन्नयन	29
वृद्धि, परिवर्तन एवं प्रतिस्थापन	131
वृद्धि, परिवर्तन एवं प्रतिस्थापन– आरएंडडी	11
ईआरपी	12
कुल (क)	0
ख. नई योजनाएँ	
तोकिसुड कोयला खान का विकास	64
दोणिमलै में स्क्रीनिंग संयंत्र-ii	115
स्टॉक के ढेर को ढका जाना- ट्रस ढाँचा	32
बीएलडी 14 का क्रशिंग संयंत्र एवं डाउनहिल कन्वेयर प्रणाली	5
बीएलडी 11सी का क्रशिंग संयंत्र एवं डाउनहिल कन्वेयर प्रणाली	
किरंदुल एवं दोणिमलै में टाउनशिप	152

फ्लीट प्रबंधन प्रणाली	19
कुल (ख)	0
ग. अन्य योजनाएं	
रोहणे कोयला खान का विकास	180
चिगरगुंटा-बीसानाथन गोल्ड ब्लॉक – आंध्र प्रदेश	5
केओम के खनन पट्टे का पुनर्नवीनीकरण (17.10.2022 से 20 वर्ष के लिए)	62
कुल (ग)	**247**
कुल (क से ग)	**3512**

(चार)केआईओसीएल लिमिटेड:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**योजना/कार्यक्रम का नाम**	**आंवटित परिव्यय**
1	**देवदारी लौह अयस्क खान**	**220.00**
	देवदारी खान के खनन पट्टे की डील के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क	200.00
	विस्तृत गवेषणा, विकासात्मक कार्यों, डीपीआर तैयार करने तथा परामर्शी कार्य, पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपायों जैसे ईसी/एफसी स्थितियों की अनुपालना, खनन, वन तथा वन्य जीवन संरक्षण योजना हेतु सह-प्रबंधन योजना, कर्नाटक सरकार के राज्य वन विभाग को वनभूमि को लौटाए जाने पर अध्ययन, आरएंडआर योजना	10.00
	खनन उपकरण – क्रशर, कन्वेयर एवं स्क्रीनिंग प्रणाली	5.00
	अवसंरचना – बिजली, कन्वेयर कोरिडोर, रेलवे साइडिंग, जल की व्यवस्था, स्थापना व्यय इत्यादि	5.00
2	**ब्लास्ट फर्नेस इकाई – फोरवर्ड एवं बैकवर्ड एकीकरण**	**127.14**
	डीआईएसपी-डक्टाइल आयरन स्पंज पाइप	0.00
	सीओ- कोक ओवन संयंत्र	87.20
	पीपी- ऊर्जा संयंत्र	16.14

	ब्लास्ट फर्नेस उन्नयन	5.35
	पीसीआई- चूर्णीकृत कोयला इंजेक्शन	6.00
	ओ2 एवं एन2- ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन संयंत्र	5.40
	मेकॉन परामर्शी शुल्क	7.05
3	**वर्टिकल प्रेशर फिल्टर परियोजना**	**12.49**
	परामर्शी	0.39
	प्रमुख उपकरण	6.60
	ढाँचा खड़ा करना	2.98
	बिजली के उपकरणों सहित शेष उपकरण	2.52
4	**आधुनिकीकरण, उन्नयन तथा आरएंडडी केन्द्र**	**10.00**
	पीपीयू में कोक शेड निर्माण	4.00
	ईएसपी रेट्रोफिटिंग	0.50
	एलएनजी डूअल फायर बर्नर	1.50
	बेनोटाइन एवं सेंट्रल स्टोर शेड	2.00
	आरएंडडी केन्द्र में खनिज गवेषणा प्रयोगशाला	0.50
	कावूर टाउनशिप में नए क्वार्टर	1.50
5	**विमिन्न पूँजीगत मदें तथा अन्य व्यापारिक क्रियाकलाप**	**15.00**
	कुल (1 से 5)	**384.63**

4.8 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में केआईओसीएल द्वारा उक्त आंवटन का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित रणनीतिक योजना बताया गया है :

1. कर्नाटक के बेल्लारी जिले में देवदारी लौह अयस्क खदानों का प्रचालन और विकास:

आरंभ में खदानों को प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन लौह अयस्क के उत्पादन के लिए विकसित किया जाएगा।

2. चरण-एक में देवदारी खदानों में 2 एमटीपीए के बेनिफिशिएशन संयंत्र की स्थापना करना।

लौह अयस्क पेलेट बनाने के लिए खदानों के लौह अयस्क का फेरस=63% तक उन्नयन करने हेतु

3. अन्य संबद्ध इकाईयों के विद्युत संयंत्र, पीसीआई, ओ2 एंव एन2 संयंत्रों के साथ बैकवर्ड एकीकरण के रूप में बीएफयू में कोक ओवन संयंत्र स्थापित करना।

कोक धमन भट्ठियों के प्रचालन के लिए अपेक्षित है और कोक ओवन संस्थापित करना लागत की दृष्टि से लाभकारी होगा।

4. पेलेट संयंत्र में इंडूरेटिंग मशीन में नेचुरल गैस बर्नर लगाने की योजना

संयंत्र के आसपास गैल पाइप लाइन होने और गैस की चालू कीमतें सस्ती होने से यह कई अन्य लाभों जैसे कि कार्बन के उत्सर्जन में कमी, बेहतर प्रक्रिया नियंत्रण इत्यादि के साथ-साथ लागत की दृष्टि से लाभकारी होगा।

(पांच) **मॉयल लिमिटेड:**

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आवंटित परिव्यय
1.	उकवा खदान, जिला- बालाघाट में यह दूसरी वर्टिकल शाफ्ट तथा संबद्ध कार्यों की सिंकिंग	7.00
2.	बालाघाट खदान, मॉयल, जिला- बालाघाट में हाई स्पीड शाफ्ट तथा संबद्ध कार्यों की सिंकिंग	70.00
3.	गुमगाँव खदान, मॉयल, जिला- नागपुर में हाई स्पीड शाफ्ट तथा संबद्ध कार्यों की सिंकिंग	60.00
4.	एएमआर एवं अन्य खनन/विकास परियोजनाएं	167.58

(छह) मेकॉन लिमिटेड:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पूँजीगत व्यय विवरण	आवंटित परिव्यय
1	इंटीरियर, फर्नीचर, ब्रांडिंग, इलेक्ट्रिकल और आईटी कार्य	3.00
2	सीसीटीवी निगरानी प्रणाली	1.48
3	आईटी आपूर्ति	2.07
4	ईआरपी	5.80
5	बारिश के पानी का संग्रहण	0.17
6	टेनसाइल मेमब्रेन कार पार्किंग शेड	0.55
7	लैन वायरलेस नेटवर्क	3.00
8	अपशिष्ट शोधन संयंत्र	1.00
9	सुरक्षा उपकरण एचडब्ल्यू	0.18
	कुल	**17.25**

(सात) एमएसटीसी लिमिटेड:

(करोड़ रुपये में)

गतिविधि का नाम	आवंटित परिव्यय
प्रणाली उन्नयन संबंधी क्रियाकलाप	10.00

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)

4.9 सेल के 2018-19, 2019-20और 2020-21 के दौरान वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

सं.	पीएसयू का नाम		भौतिक मापदंड	2018-19		2019-20		2020-21	
				लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1.	सेल	i.	हॉट मेटल (मिलियन टन में)	17.82	17.51	18.30	17.44	17.25	16.58
		ii.	क्रूड इस्पात (मिलियन टन में)	16.73	16.27	17.27	16.16	16.40	15.22
		iii.	बिक्री योग्य इस्पात(मिलियन टन में)	15.62	15.07	16.20	15.15	15.48	14.60
		iv.	पिग आयरन (मिलियन टन में)	0.28	0.48	0.30	0.57	0.23	0.58
		v.	बिक्री योग्य उत्पादन(मिलियन टन में)	15.90	15.55	16.50	15.72	15.72	15.19

4.10समिति को सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष **2021-22** के लिए क्रूड स्टील के तहत सेल के लिए वास्तविक उपलब्धि **14.3** मीट्रिक टन और बिक्री योग्य स्टील **13.92** मीट्रिक टन है, जो सीपीएलवाई की तुलना में क्रमशः **17%** और **19%** की वृद्धि दर्ज करता है।

4.11 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह भी बताया कि अप्रैल-जनवरी, **2021-2022** की अवधि के लिए कच्चे इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी कुल कच्चे इस्पात उत्पादन का **19.1% (18.7** मीट्रिक टन) है।

4.12 वर्ष 2020-21 और अप्रैल-जनवरी 2021-22 (अनंतिम) के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन संबंधी पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्रतिशत परिवर्तन के साथ डेटा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	क्रूड इस्पात उत्पादन	
	मात्रा (मिलियन टन या एमटी)	**% परिवर्तन**
2020-21	103.54	-5.1

अप्रैल-जनवरी 2021-22*	98.39	17.5
स्रोत: जेपीसी; * अनंतिम		

4.13 पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल संयंत्रों में कच्चे इस्पात उत्पादन के लिए उत्पादन और क्षमता उपयोग की कुल स्थापित क्षमता के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार कहा है:

(इकाई: एमटी)

कच्चा इस्पात	2019-20	2020-21	2021-22 (अप्रैल'21-जनवरी'22)
क्षमता	19.6	19.6	16.3*
वास्तविक उत्पादन	16.2	15.2	14.3
क्षमता उपयोग (%)	82	78	87

*यथानुपात आधार पर

4.14 समिति को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अनुरूप, जिसमें 2030 तक भारत में कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने की परिकल्पना की गई है, सेल के निदेशक मंडल ने "सैद्धांतिक रूप से" विजन 2030 को मंजूरी दे दी है जिसमें कच्चे इस्पात के विस्तार की परिकल्पना की गई है। सेल की उत्पादन क्षमता वर्ष 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से 49.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी।

4.15 सेल की प्रमुख चालू परियोजनाओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि सेल की 04 प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मूल/ समाप्ति की संभावित तिथि (विलंब माह में)	मूल/संशोधित लागत(करोड़ रुपये)	जनवरी, 2022 तक व्यय(करोड़ रुपये)	समय/लागत अतिक्रमण के प्रमुख कारण
1	बोकारो इस्पात संयंत्र(बीएसएल) में नया सिंटर संयंत्र	अक्टूबर 2017/नवंबर, 2022 (61 माह)	1111.24/ 1111.24 कोई लागत अतिक्रमण नहीं	571.6	• स्थान की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभिक विलंब • पर्यावरण अनुमति के नवीनीकरण में विलंब • कोविड-19 महामारी के कारण साइट का काम बाधित हुआ • ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति। • ठेकेदार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के बावजूद प्रगति में सुधार नहीं हो सका।
2	बीएसएल में सीओबी-8 का पुनर्निर्माण	जनवरी, 2019/मई, 2022 (35 माह)	285.06/ 285.06 कोई लागत अतिक्रमण नहीं	209.03	• प्रमुख ठेकेदार (मैसर्स मेकॉन) द्वारा बैटरी प्रॉपर के सिविल कार्य के लिए संविदा प्रदान करने में विलंब, ठेकेदार द्वारा निम्नतर संसाधन जुटाव इत्यादि • भुगतान संबंधी मामलों के कारण सिविल कार्यों के उप-ठेकेदार ने 3 माह के लिए कार्य को बंद कर दिया था • विखंडित बैटरी के डेकस्लैब के मरम्मत कार्य में विलंब • फ्लूकी सुरंग में बरसाती पानी के रिसाव को मरम्मत की

					आवश्यकता थी • कोविड-19 महामारी के कारण साइट का कार्य प्रभावित हुआ।
3	राउरकेला इस्पात संयंत्र(आरएसपी) में कोक हैंडलिंग एवं गैस हैंडलिंग सुविधा के संवर्धन के साथ-साथ सीओबी-2 का पुनर्निर्माण	मई, 2023/मई, 2023 कोई विलंब नहीं	433.58/ 433.58 कोई लागत अतिक्रमण नहीं	56.05	शून्य
4	भिलाई इस्पात संयंत्र(बीएसपी) में कोक ओवन बैटरीसं. 7 एवं 8 का पुनर्निर्माण	दिसंबर, 2023/दिसंबर, 2023 कोई विलंबन हीं	625.1/ 625.1 कोई लागत अतिक्रमण नहीं	84.81	शून्य

4.16 सेल द्वारा शुरू की गई प्रमुख नई योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मूल लागत/संशोधित लागत (करोड़ रुपये में)	विलंब की स्थिति और कारण
1	आरएसपी में चौथे स्लैब कास्टर की संस्थापना	1105	कार्य सुपुर्दगी पत्र (एलओए) जनवरी, 2022 में जारी किया गया।
2	बीएसएल में हॉट स्ट्रिप मील की फिनिशिंग मिल की स्वचालित प्रणाली का उन्नयन	240.42	बोलीकर्ताओं द्वारा विचलनों को बनाए रखने के कारण निविदा को संपन्न करने में विलंब हुआ। निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कार्य सौंपे जाने के लिए अंतिम

			अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
3	डीएसपी में नई बार मिल की संस्थापना	941.69	निविदा के अधीन; बोलीकर्ताओं के अनुरोध पर निविदा खोलने की तिथि (टीओडी) को 4 बार विस्तारित करना पड़ा।
4	आरएसपी में नई प्लेट मिल में सामान्यीकरण सुविधाओं की संस्थापना	362.08	निविदा के अधीन; बोलीकर्ताओं द्वारा विचलनों को बनाए रखने के कारण निविदा को संपन्न करने में विलंब हो रहा है।
5	बीएसपी में कन्वर्टर वेसल, ट्रूनियन रिंग्स सपोर्ट सिस्टम की प्रतिस्थापना, स्टील मेल्टिंग शॉप-2 में तीन कन्वर्टरों के लिए द्वितीयक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की संस्थापना	307	निविदा के अधीन; बोलीकर्ताओं के अनुरोध पर निविदा खोलने की तिथि (टीओडी) को 3 बार विस्तारित करना पड़ा।
6	आरएसपी में शोधन प्रणाली-2	177.22	निविदा के अधीन; मूल्य निर्धारण अभी किया जाना शेष है।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

4.17 आरआईएनएल के 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत हैः

सं.	पीएसयू का नाम	भौतिक मापदंड	2018-19		2019-20		2020-21	
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1.	आरआईएनएल	(एक)हॉट मेटल (मिलियन टन में)	5.830	5.769	5.161	5.161	4.700	4.682
		दो)(क्रूड इस्पात (मिलियन टन में)	5.401	5.233	4.759	4.759	4.400	4.302
		(तीन)बिक्री योग्य इस्पात(मिलियन टन में)	5.050	5.000	4.452	4.452	4.300	4.163
2.	*यर्ड ग्रुप	Production						

	ओएमडीसी	उत्पादन						
		लौह अयस्क	0	0	0	0	0.59	0
		(i) उत्पादन (मिलियन टन में)	0	0	0	0	0.59	0
		(ii) प्रेषण (मिलियन टन में)						
		मैंगनीज अयस्क	0	0	0	0	0.02	0
		(i) उत्पादन (मिलियन टन में)	0	0	0	0	0.02	0
	बीएसएलसी	उत्पादन						
		(i) लाइमस्टोन (मिलियन टन में)			--	0.017	--	0.00
		(ii) डोलोमाइट (मिलियन टन में)	--	--	0.96	0.605	1.05	1.123
		प्रेषण						
		(i) लाइमस्टोन (मिलियन टन में)	--	--	--	0.008	--	0.009
		(ii) डोलोमाइट (मिलियन टन में)			0.96	0.596	0.96	0.596

* बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज, आरआईएनएल की सहायक कंपनियाँ हैं।

4.18 आरआईएनएल द्वारा 2014-15 में बनाई गई कॉर्पोरेट योजना 2025 में चरणबद्ध तरीके से 2025 तक 16 एमटीपीए तक वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस्पात उद्योग में मंदी के साथ-साथ विस्तार और आधुनिकीकरण के संक्रमण काल के कारण 2015-16 से हुए घाटे को देखते हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति में गिरावट के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।विस्तार और आधुनिकीकरण इकाइयों से उत्पादन में वृद्धि और बाजार की स्थिति में सुधार के साथ, कंपनी ने 2020-21 के एच2 में 1,298 करोड़ रुपये और 2021-22 में अप्रैल 2021-जनवरी, 2022 की अवधि के दौरान 739 करोड़ रुपये(अनंतिम) का लाभ अर्जित किया। अपनी हिस्सेदारी के 100% विनिवेश के लिए भारत सरकार के

निर्णय को ध्यान में रखते हुए, आरआईएनएल किसी भी क्षमता वृद्धि पर विचार नहीं कर रहा है।

4.19 पिछले तीन वर्षों के लिए आरआईएनएल की संस्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग नीचे दिया गया है: -

वर्ष	तरल इस्पात संस्थापित वार्षिक क्षमता (एमटी)	क्षमता उपयोग
2018-19	6.300	88%
2019-20	6.300	79%*
2020-21	6.300	71%*
2021-22	6.300	89% #

*2019-20 और 2020-21 में क्षमता उपयोग क्रमशः प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों और कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था।

जनवरी 22'तक क्षमता उपयोग

4.20 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान आवंटित निधियों के परिव्यय और वास्तविक उपयोग पर परियोजना-वार जानकारी

(रूपए करोड़ में)

परियोजनाकानाम	2019-20		2020-21		2021-22	
	परिव्यय	वास्तविक उपयोग	परिव्यय	वास्तविक उपयोग	परिव्यय	वास्तविक उपयोग जनवरी' 2022 तक
विस्तार-6.3 एमटीपीए	100	143.20	10	4.80	9.00	2.65
कैट-I बीएफ-1 की कैपिटल	40	81.15	11	24.22	-	0.53

रिपेयर्स						
कैट-I बीएफ-2 की कैपिटल रिपेयर्स					11.00	16.65
सैन्ट्रल डिस्पेच यार्ड	100	70.08	30	39.85	17.00	16.52
कोक ओवन बैटरी-5	250	384.51	230	231.99	125.00	134.51
फोर्ज्ड व्हील संयंत्र	250	296.84	148	188.75	222.00	140.33
एसपी उत्पादतकता संवर्धन	40	40.13	15	28.37	11.00	3.38
ट्विन एलएचएफ (एसएमएस-2)	30	16.98	20	-0.28	2.00	-
एएमआर	50	37.87	60	28.36	30.00	19.29
अन्य योजनाएं	540	337	10	191	303	241
कुल	**1400**	**1408.19**	**534**	**737.39**	**730**	**575.17**

विगत दो वर्षों के दौरान आरआईएनएल ने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा कर लिया है और वर्ष 2021-22 में लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है।

4.21 समिति को सूचित किया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जनवरी, 2022 तक, आरआईएनएल ने सीपीएलवाई की तुलना में 4.7 मिलियन टन तरल इस्पात का उत्पादन 38% अधिक और 22,289 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अच्छा बिक्री कारोबार और बिक्री योग्य इस्पात की बिक्री की मात्रा 42.72 लाख टन किसी भी वित्तीय वर्ष की दस महीने की अवधि के बाद से सीपीएलवाई की तुलना में 2021-22 में 73% और 27% की वृद्धि के साथ हासिल की।

4.22 समिति को बताया गया है कि निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं को पिछले 3वर्षों के दौरान लक्षित और कार्यान्वित किया गया था:

परियोजना का नाम	लक्षित / कार्यान्वित	समय अतिक्रमण (माह)	लागत अतिक्रमण (करोड़ रुपये)	विलंब के कारण
सेंट्रल डिस्पैच यार्ड	अक्टूबर 19'में कार्यान्वित किया गया	14	शून्य	• वन मंजूरी कार्यों में साइट की स्थिति के कारण प्रत्याशित से अधिक समय लगा। • ईसीओआर द्वारा इंजीनियरिंग स्केल प्लान)ईएसपी (और डीपीआर के अनुमोदन में विलंब हुआ। रेलवे द्वारा 15.03.2018को डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। कार्य शुरू करने के लिए मंजूरी नवम्बर 2018 ,में दी गई है। • रेलवे द्वारा 19-09-20को शंटिंग नेक एरिया क्लीयरेंस के 150मीटर के एक हिस्से को दिया जाता है। • सिविल एजेंसी और रेलवे ट्रैक एजेंसी द्वारा अपर्याप्त संसाधन जुटाना। • संविदात्मक भुगतान में देरी के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई।
कोक ओवन बैटरी5-	चरण-ए- मुख्य बैटरी प्रणाली दिसंबर'20 में चालू की गई	36	शून्य	• मैसर्स बीईसी द्वारा बैटरी 5-और सीडीसीपी पैकेज के निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग और जनशक्ति जुटाने के कार्य को पूरा करने में विलंब। • एचईसी द्वारा वैगन टिपलर के इंजीनियरिंग और विनिर्माण में देरी। • आरआईएनएल द्वारा विलंबित भुगतान)उधार सीमा की अनुपलब्धता के कारण(। • इंजीनियरिंग में विलंब के कारण मैसर्स हुटनी द्वारा भाग-ख के उपकरण के आर्डर प्लेसमेंट में विलंब।
सिंटर मशीन 2-के ईएसपीओं का पुनरुद्धार	जनवरी 21'में कार्यान्वित किया गया	1	शून्य	• कोविड 19-के कारण जनशक्ति की कम आवाजाही।

फोर्ज्ड व्हील संयंत्र	सितंबर 21'में कार्यान्वित किया गया	36	-	• एजेंसी ने संविदात्मक समय-सीमा)उधार सीमा की अनुपलब्धता के कारण (के अनुसार एलसी खोलने में आरआईएनएल के तरफ से विलंब के कारण 99दिनों के अतिरिक्त समय की माँग की। • संविदात्मक भुगतान में विलंब ने कार्य की प्रगति को प्रभावित किया। • रिफ्रैक्टरी की आपूर्ति में विलंब। • 9000टी प्रेस के क्षतिग्रस्त प्लंजर की मरम्मत / प्रतिस्थापन। • संयंत्र को चालू करने के लिए प्रोपेन भंडारण का तैयार न होना। • ठेकेदारों/संकाय समूह के बीच खराब समन्वय के कारण कार्य के निष्पादन में विलंब होता है। • कोविड 19-महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण 17.03.2020से सभी साइट्र के कार्य बंद हो गए और न्यूनतम जनशक्ति के साथ 19.05.2020को काम फिर से शुरू हुआ। • एसएमएस समूह के संकाय द्वारा व्यक्तिगत उपकरणों को चालू करने के लिए विदेशी विशेषज्ञ की तैनाती में विलंब।

(तीन) एनएमडीसी लिमिटेड

4.23 एनएमडीसी लिमिटेड के वर्ष **2018-19, 2019-20** और **2020-21** के दौरान वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत हैः

पीएसयू का नाम	भौतिक मापदंड	2018-19		2019-20		2020-21	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
	एनएमडीसी	उत्पादन					
		(i) लौह अयस्क *(लाख टन में)*	315	323.61	330	314.89	340	341.50
		(ii) हीरे (कैरेट)	35000	38149	30000	28537	25000	13681
		(iii) स्पंज आयरन (टन)	4500	2475	-	-	-	-
		(iV) पेलेट *(लाख टन में)*	1.20	1.16	1.50	1.10	1.50	0.84
		(v) एचआर क्वायल्स (एलटी)	-	-	-	-	-	-
		(vi) पिग आयरन (एलटी)	-	-	-	-	-	-
		बिक्री						
		(i) लौह अयस्क *(लाख टन में)*	320	323.56	325.05	315.14	340	332.52
		(ii) हीरे (कैरेट)	35000	29346	30000	33723	25000	22249
		(iii) स्पंज आयरन (टन)	4500	496	-	1944	-	-
		(iV) पेलेट *(लाख टन में)*	1.20	1.12	1.50	0.86	1.50	0.93
		(v) एचआर क्वायल्स (एलटी)	-	-	-	-	-	-
		(vi) पिग आयरन (एलटी)	-	-	-	-	-	-

4.24 मंत्रालय ने अपने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) में मौखिक साक्ष्य के दौरान सूचित किया है कि जनवरी, **2022** के महीने मेंएनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क का उत्पादन **4.55** मीट्रिक टन और बिक्री **4.24** मीट्रिक टन हासिल किया गया है, जो इसकी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक है। वित्त वर्ष **2021-22** के दौरान **32.87** मीट्रिक टन लौह अयस्क का संचयी उत्पादन और जनवरी **22** तक **32.60** मीट्रिक टन की बिक्री भी स्थापना के बाद से सबसे

अधिक है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईएसपी) के लिए कमीशनिंग गतिविधियां दिसंबर-**2021** में कोक ओवन चिमनी के हीटिंग और जनवरी-**2022** में कोक ओवन हीटिंग के साथ शुरू हुई ।

4.25 एनएमडीसी लिमिटेड की प्रमुख चालू परियोजनाओं का ब्यौरा, विलंब/समय और लागत में वृद्धि के कारणों के साथ नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मूल/ समाप्ति की संभावित तिथि (विलंब माह में)	मूल/संशोधित लागत (करोड़ रुपये)	जनवरी, 2022 तक व्यय (करोड़ रुपये)	समय/लागत अतिक्रमण के प्रमुख कारण
1	नगरनार, छत्तीसगढ़ में 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र	मई, 2015/मार्च, 2022 (82 माह)	15525/ 21940 6415 करोड़ रुपये का लागत अतिक्रमण	19574.68	**समय अतिक्रमण के कारण:** • विलय तथा अधिग्रहण के कारण बहुत-से ठेकेदारों ने अपना स्टेटस/नाम परिवर्तित कर लिया है। दस्तावेजीकरण तथा प्रक्रिया के कारण इसके लिए अनुमोदन में काफी समय लगा है। इस अवधि के दौरान इन पैकेजों में भुगतान, आपूर्ति बाधित हुई है। • ठेकेदारों के साथ वाणिज्यिक विवादों के कारण विलंब हुआ है। • कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के कारणवश पर्यवेक्षण, परीक्षण तथा कमीशनिंग के लिए चीन, यूरोप आदि से ठेकेदार के विदेशी

					विशेषज्ञों की अनुपलब्धता। • साइट की आवश्यकता एवं वेंडर से सुरक्षा अनुमति के अनुरूप पाइप प्रणाली में संशोधन के कारण जल पैकेजों में विलंब, वन विभाग एवं राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने में विलंब। **समय अतिक्रमण के कारण:** o सौंपे गए प्रौद्योगिकीय/आनुषांगिक/समर्थकारी पैकेजों तथा रेलवे साइडिंग कार्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि तथा परिवर्तन, जो इस परियोजना के अंतर्गत शुरू किए जा रहे हैं। o बाह्य अवसंरचना की लागत में वृद्धि, विस्तृत इंजीनियरिंग, परामर्श एवं परियोजना प्रबंधन शुल्क इत्यादि।
2	स्क्रीनिंग संयंत्र-III, किरंदुल, छत्तीसगढ़	अगस्त, 2024/अगस्त, 2024 कोई विलंब नहीं	2093/ 2093 कोई लागत अतिक्रमण नहीं	271	शून्य
3	स्लरी पाइपलाइन परियोजना	जून, 2023/जून, 2023 कोई विलंब नहीं	2907.21/ 2907.21 कोई लागत अतिक्रमण नहीं	600.71	शून्य

4.26 एनएमडीसी द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मूल लागत/संशोधित लागत (करोड़ रुपये में)	विलंब की स्थिति एवं कारण
1	स्क्रीनिंग संयंत्र-II, दोणिमलै, कर्नाटक	400	• वन एवं पर्यावरण जैसी अनुमतियाँ प्रक्रियाधीन हैं।
2	डिपॉजिट 14 एवं 11सी में नया क्रशिंग संयंत्र तथा डाउनहिल कन्वेयर प्रणाली	1293	• सांविधिक अनुमतियाँ प्रक्रियाधीन हैं। • परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है तथा पैकेजिंग दर्शन एवं निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें अंतिम रूप दिए जाने के बाद निविदा संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
3	किरंदुल परिसर में टाउनशिप	218	• पैकेज की निविदा का कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रौद्यो-वाणिज्यिक सिफारिशें विधीक्षा एवं अनुमोदन के अधीन हैं।

4.27 समिति ने बताया कि2019-20 के दौरान बजट अनुमान (बीई) के लक्ष्यों को निम्नलिखित कारणों से हासिल नहीं किया जा सका:

- इस्पात संयंत्र में बड़े पैकेजों जैसे कि कच्चा माल हैंडलिंग प्रणाली,उपोत्पाद संयंत्र इत्यादि के ठेकेदारों द्वारा संविदागत माइलस्टोन को निष्पादित ना किये जाने के कारण प्रगति प्रभावित हुई।
- स्लरी पाइपलाइन में भूखंड कॉरिडोर में उपयोग अधिकार/मार्गाधिकार से संबंधित मुद्दों से परियोजना का कार्य निष्पादन धीमा हो गया, जिसके बाद एक रणनीतिक भागीदार को शामिल करके परियोजना निष्पादन हेतु एनएमडीसी की योजना में परिवर्तन हुआ।

4.28 2020-21 के दौरान , बजट अनुमान के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि:

- विदेशी विशेषज्ञ की अनुपलब्धता के कारण सिंटर संयंत्र में ट्रायल रन लंबित था जिससे सेल्फ लाइफ की सीमा के कारण रिफैक्ट्री के आईडब्ल्यूसी हेतु मंजूरी देने में विलंब

हुआ। मैसर्स प्राइमेट्ल्स के ठेकेदार के पास जनशक्ति की उपलब्धता न होने के कारण कार्यबाधित हुआ।

- कोक ओवन संयंत्र के प्रचालन की शिफ्टिंग के कारण अन्य संबंधित इकाइयों में अनेक संबद्ध कैपेक्स संबंधी महत्वपूर्ण कार्यकलाप जैस कि लोक लेखा समिति के लिए समेकित ट्रायल प्रचालन इत्यादि अगले वर्ष के लिए आस्थगित कर दिये गये (उदाहरणार्थ ऑक्सीजन संयंत्र)।

2021-22 के दौरान बजट अनुमान के लक्ष्यों की उपलब्धि निम्नलिखित कारणों से धीमी पड़ गई:

- सामान्य तौर पर, कोविड के कारण हुए लॉकडाउन से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगे प्रतिबंधों और जांच परीक्षणों के लिए विदेशी विशेषज्ञों की अनुपबल्धता हुई जिससे इसके लिए भुगतान प्रभावित हुआ। तथापि, पैकेज ठेकेदार स्थानीय पर्यवेक्षण का इस्तेमाल करके कार्यनिष्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कार्यकलाप दीर्घकालिक होते जा रहे हैं। इसके अलावा कोविड लॉकडाउन के कारण परियोजना के लिए आपूर्ति प्रभावित हुई है।
- नगरनार में 3 एमटीपीए वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए ओईएम जनशक्ति और प्रचालनपूर्व जांच और परीक्षण के लिए विदेश विशेषज्ञों की उपलब्धता मे विलंब हुआ।

चार . **केआईओसीएल लिमिटेड**

4.29 पिछले तीन वर्षों के दौरान केआईओसीएल लिमिटेड की भौतिक और वित्तीय विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

(रूपए करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (दिसम्बर, 2021) [बिना लेखापरीक्षा के]
उत्पादन ('000 ट)	2238	2375	2210	1385
कारोबार (सकल) (₹ करोड़ में)•	1887.71	1937.65	2383.61	1869.50
पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय/बजट (आईईबीआर) (₹ करोड़ में)	338	317	342	853.60
वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	19.96	21.93	41.05	256.20

सकल मार्जिन (ईबीआईडीटीए) (₹ करोड़ में)	204.19	101.14	452.55	200.08
लाभ (+)/हानि(-) कर पूर्व (₹ करोड़ में)	184.12	63.68	410.23	170.04
लाभ (+)/हानि(-) कर पश्चात (₹ करोड़ में)	111.86	43.48	301.17	119.46
* कारोबार संचालन से राजस्व है।				

4.30 2019-20,2020-21 और 2021-22 (जनवरी'2022 तक) के दौरान केआईओसीएल लिमिटेड के वित्तीय का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

2019-20			2020-21			2021-22		
		वास्तविक	परिव्यय		वास्तविक	परिव्यय		वास्तविकजनवरी, 2022 तक)
ब.प्रा.	सं.प्रा.		ब.प्रा.	सं.प्रा.		ब.प्रा.	सं.प्रा.	
317	317	21.93	285	342	41.05	653.60	653.60	262.60

4.31 पिछले 3 वर्षों के दौरान केआईओसीएल के वास्तविक उपयोग की तुलना में स्थापित क्षमता निम्नानुसार दी गई है: -

(लाख टन में)

वर्ष	संस्थापित क्षमता (टन में)	वास्तविक उत्पादन (टन में)	वास्तविक उपयोग
2018-19	35.00	22.38	63.94 %
2019-20	35.00	23.75	67.85 %
2020-21	35.00	22.10	63.14 %

4.32 वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21के दौरान केआइओसीएल लिमिटेड के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत हैः-

पीएसयू का नाम	वास्तविक पैरामीटर	2018-19		2019-20		2020-21	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
केआईओसीएल	(एक) उत्पादन (मिलियन टन में)	2.170	2.238	2.300	2.375	2.250	2.210
	(दो) प्रेषण(मिलियन टन में)	2.170	2.206	2.300	2.356	2.250	2.311

पांच . एमओआईएल लिमिटेड

4.33 पिछले तीन वर्षों के लिए आईईबीआर और मॉयल का वास्तविक उपयोग निम्नानुसार हैः

पीएसयू का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		वर्ष के दौरान संभावित उपयोग
	आईईबीआर (बीई)	वास्तविक उपयोग	आईईबीआर (बीई)	वास्तविक उपयोग	आईईबीआर (बीई)	वास्तविक उपयोग(जनवरी, 2022 तक)	
एमओआईएल	209.74	243.85	379.80	136.66	293.50	176.47	293.71

4.34 मॉयल में प्रमुख परियोजनाओं के बारे में पूछे जाने पर, समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मूल/ समाप्ति की संभावित तिथि (विलंब माह में)	मूल/संशोधित लागत (करोड़ रुपये)	जनवरी, 2022 तक व्यय (करोड़ रुपये)	समय/लागत अधिकता के प्रमुख कारण
1	बालाघाट खदान, जिला बालाघाट में हाई स्पीड शाफ्ट सिंकिंग तथा संबद्ध कार्य	जुलाई, 2021/सितंबर, 2022	265.96/ 265.96 कोई लागत अधिकता नहीं	84.10	कोविड लॉकडाउन, विदेशी आप्रवासियों को भारतीय वीजा देने में परिणामस्वरूप विलंब, अचानक पानी के बहाव के कारण हाल ही में कार्य का रूक जाना
2	गुमगाँव खदान, जिला नागपुर में हाई स्पीड शाफ्ट सिंकिंग तथा संबद्ध कार्य	जनवरी, 2021/अगस्त, 2022	194.92/ 194.92 कोई लागत अधिकता नहीं	26.24	कोविड लॉकडाउन, विदेशी आप्रवासियों को भारतीय वीजा देने में परिणामस्वरूप विलंब

4.35 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि आउटगोइंग परियोजनाओं में समय/लागत बढ़ने के प्रमुख कारण कोविड लॉकडाउन हैं, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी प्रवासियों को भारतीय वीज़ा में विलंब आदि हुआ-

4.36 पिछले 3वर्षों के दौरान संस्थापित क्षमता की तुलना में वास्तविक उपयोग निम्नानुसार है:-

मैंगनीज अयस्क(मात्रालाख एमटी में)

क्र. सं.	वर्ष	संस्थापित क्षमता	वास्तविक	उपलब्धि (%)
1	2018-19	13.25	13.01	98.00%
2	2019-20	14.75	12.77	87.00%
3	2020-21	12.50	11.44	92.00%

4	2020-21 #	14.00	9.75	70.00%

- अप्रैल-2021 ,जनवरी2022 की अवधि के लिए वास्तविक।

* समझौता ज्ञापन लक्ष्य(बहुतअच्छा(

4.37 मॉयल लिमिटेड के **2018-19, 2019-20** और **2020-21** के दौरान वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नानुसार बताया गया है: -

सं.	पीएसयू का नाम	भौतिक मापदंड	2018-19		2019-20		2020-21	
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
5.	मॉयल	उत्पादन (एमटी में)						
		i) मैंगनीज अयस्क	1375000	1301191	1475000	1277444	1250000	1143570
		ii) इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाई-ऑक्साइड	1250	992	1500	925	1200	918
		iii) फैरो-मैंगनीज	12000	11003	12000	10421	12000	8851

टिप्पणियां/सिफारिशें

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय प्रावधान

1. समिति नोट करती है कि इस्पात मंत्रालय का समग्र बजटीय आवंटन यह दर्शाता है कि हाल के विगत काल में यह आवंटन अपेक्षाकृत अधोगामी रहा है। वित्त वर्ष *2019-20* के दौरान मंत्रालय को बजट अनुमान के स्तर पर *241.29* करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे जिन्हें संशोधित अनुमान (आरई) के स्तर पर घटाकर *196.08* करोड़ रूपए कर दिया गया और अंततोगत्वा असल में *194.33* करोड़ रूपए खर्च किए गए। वित्त वर्ष *2020-21* के दौरान मंत्रालय को बजट अनुमान के स्तर पर केवल *100* करोड़ रूपए आवंटित किए गए और *31.03.2021* तक असल में *74.31* करोड़ रूपए खर्च किए गए। इसी तरह, वित्त वर्ष *2021-22* के दौरान बजट आवंटन को आगे और घटाकर *39.25* करोड़ रूपए कर दिया गया जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़ाकर *43* करोड़ रूपए कर दिया गया जिसका कारण शीर्ष- सचिवालय आर्थिक सेवा के तहत राजस्व व्यय में वृद्धि का; अर्थात *32.78* करोड़ रूपए से बढ़कर *36.73* करोड़ रूपए का होना था। हालांकि, यह बताया गया है कि *10.02.2022* तक वास्तविक व्यय *31.91* करोड़ रूपए रहा है।

समिति आगे यह भी नोट करती है कि वित्त मंत्रालय ने वर्ष *2022-23* में मांग सं. *97* के तहत *47* करोड़ रूपए आवंटित किए हैं; लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रोत्साहन योजना के लिए *4.49* करोड़ रूपए निर्धारित किए गए हैं, *40.51* करोड़ रूपए स्थापना व्यय-सचिवालय आर्थिक सेवा के लिए और *2* करोड़ रूपए केंद्रीय क्षेत्र की ऐडवरटाइजिंग पब्लिसिटी (ईसी), कॉन्ट्रीब्यूशन (ओईसीडी मेम्बरशिप) अवार्ड्स टु डिस्टिंगिस्ड मेटलर्जिस्ट्स आदि जैसी योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि वित्त वर्ष *2022-23* में *47* करोड़ रूपए का यह पूरा बजट केवल राजस्व व्यय के लिए होगा; जैसाकि

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इस्पात उपक्रमों का वित्तपोषण आईईबीआर से ही होता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि इस्पात क्षेत्र के प्रोमोटर एवं डेवलपर के रूप में सरकार को चाहिए कि वे एक व्यापक योजना को लेकर आएं जिससे कि इस्पात क्षेत्र को न केवल आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं में, बल्कि ग्रामीण आवास एवं पेयजल मिशन, एग्रो इंजीनियरिंग, सिंचाई आदि जैसे अन्य अनुषंगी क्षेत्रों व विशिष्ट इस्पात के अन्य क्षेत्रों में भी कैश करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

<u>अनुसंधान और विकास योजना</u>

2. समिति नोट करती है कि अनुसंधान और विकास योजना के तहत वित्त वर्ष *2019-20* में *15* करोड़ रूपए के बजट आवंटन का पूरा-पूरा उपयोग हुआ है। हालांकि वित्त वर्ष *2020-21* में अनुमान से कम व्यय के कारण लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका; जैसाकि कोविड-*19* महामारी से इनकी गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। वित्त वर्ष *2021-22* में *(10.02.2022* तक*)* अनुसंधान और विकास योजना में व्यय *5.00* करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना में *2.71* करोड़ रूपए है जो काफी कम है। हालांकि, मंत्रालय इस बात से आश्वस्त था कि उक्त वर्ष के दौरान *4.49* करोड़ रूपए के संशोधित लक्ष्य को हासिल किए जाने की संभावना है। इस योजना के लिए वर्ष *2022-23* का कुल परिव्यय *4.49* करोड़ रूपए रखा गया है जिसका उपयोग निश्चित रूप से चालू परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं के साथ अनुसंधान और विकास योजना के चिन्हित किए गए दबाववाले क्षेत्रों के अनुरूप नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए होगा। मंत्रालय की ओर से इस बात पर भी जोर दिया गया कि चूंकि अनुसंधान और विकास के लाभ को लेकर नए सिरे से दबाव है, इसलिए अगले वित्त वर्ष में यह आशा की जाती है कि आवंटित धन को बढ़ाकर *10* करोड़

रूपए किया जाएगा। इस संबंध में समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि चूंकि अनुसंधान और विकास संशोधन किसी उद्योग के उपलब्ध और संभावित संसाधनों में सुधार व उनके विस्तार की नींव होता है, इसलिए संशोधित अनुमान के स्तर पर अनुसंधान व विकास संबंधी गतिविधियों के निमित्त मंत्रालय को पर्याप्त धन का आवंटन किया जाना चाहिए जिससे कि आने वाले वर्षों में घरेलू इस्पात उद्योग की मांग को पूरा किया जा सके। जैसाकि विजन *2047* में नवाचार और अनुसंधान के माहौल को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसलिए अपेक्षित जोर अब से उसी पर दिए जाने की जरूरत है जो इस तरह के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए सुदृढ़ कोष की उपलब्धता में परिलक्षित होना चाहिए।

3. समिति को बताया गया है कि इस्पात मंत्रालय ने भविष्य में अनुसंधान और विकास की केवल उन्हीं परियोजनाओं को चलाने का निर्णय किया है जिनमें व्यावसायीकरण के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने के निमित्त औद्योगिक पार्टनरों की सहभागिता और उनसे वित्तपोषण हो। मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास संबंधी परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन व उनके वित्तपोषण के निमित्त संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अपने वेबसाइट के माध्यम से स्टेकहोल्डरों से अनुसंधान और विकास संबंधी नए प्रस्तावों की कथित तौर पर मांग की है। समिति का मानना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी भविष्य का मूलस्तंभ है और इस क्षेत्र में विकास आने वाले समय में आवश्यक औद्योगिक आधारभूत संरचना व संसाधनों के सृजन में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों / निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा अनुसंधान और विकास की शुरू की गई चालू परियोजनाओं व शुरू की जाने वाली आगामी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी व समीक्षा करें और

स्वतंत्र लेखा परीक्षा व मूल्यांकन समूहों के माध्यम से उनकी पारदर्शिता, दक्षता, गुणवत्ता व उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। हालांकि, मंत्रालय की आकांक्षा है कि आने वाले दशकों में डीकार्बोनाइजेशन आदि में वैश्विक सहयोग हो, इसलिए समिति चाहती है कि यदि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और देश के बड़े आकादमिक संस्थानों के बीच संयुक्त उद्यम संभव है तो उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए ताकि तकनीकी उन्नति, स्वदेशी विकास और घरेलू इस्पात उद्योग के विकास साथ-साथ किए जा सके। समिति आशा करती है कि इस तरह की पहल से भारत का 'आत्मनिर्भर भारत' दर्शन सुगम हो सकेगा और इसलिए समिति चाहती है कि उन्हें इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया जाए।

<u>केंद्रीय क्षेत्र की अन्य योजना</u>

4. समिति आगे यह भी नोट करती है कि जागरूकता लाने, क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण के लिए और इस्पात मंत्रालय के कार्यक्रमों एवं उनकी नीतियों के प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस को हायर करने में होने वाले खर्च का वहन करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। वर्ष *2021-22* के बजट अनुमान *(1.47* करोड़ रूपए*)* की तुलना में वर्ष *2022-23* में *36.05* प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह बजट अनुमान *2.00* करोड़ रूपए का रहा है। हालांकि, वर्ष *2021-22* के दौरान उपयोग न्यूनतम *(1.46* करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान में *0.16* करोड़ रूपए*)* रहा है। समिति चाहती है कि धन के ऐसे कम उपयोग के कारणों से उन्हें अवगत कराया जाए और इस बात पर जोर देती है कि उच्च गुणवत्ता और विशिष्ट इस्पात के उत्पाद के लिए कुशल श्रमशक्ति के विकास हेतु क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में निवेश अनिवार्य है और इस तरह, सिफारिश करती है कि इसे जोर-शोर से शुरू किया जाए। समिति चाहती है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए।

इस्पात क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

5. समिति नोट करती है कि तैयार इस्पात (गैर मिश्र धातु और मिश्र धातु) का उत्पादन वर्ष 2020 में हुए 92.231 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2021 में 111.85 मिलियन टन (अनंतिम) हो गया है। इसमें सीपीएसई (एसएआईएल और आरआईएनएल) का शेयर 17.312 मिलियन टन का है जो देश में तैयार इस्पात के कुल उत्पादन का 15.47% है। वर्ष 2021 के दौरान निजी क्षेत्र की इकाइयों (टीएसएल, ईएसएसएआर, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड) में 46.645 मिलियन टन (41.70%) और लघु उद्योगों (एसएसआई) समेत अन्य उत्पादन इकाइयों में 47.901 मिलियन टन (42.82%) इस्पात का उत्पादन हुआ है। समिति वर्ष 2020 के दौरान हुए कार्यनिष्पादन की सराहना करती है। जहां तक इस्पात के कुल उत्पादन का सवाल है, इस्पात मंत्रालय के सचिव ने बताया कि वर्ष 2021 के दौरान यह 118 मिलियन टन रहा है और उसी वर्ष के दौरान सेल (एसएआईएल) ने 17.32 मिलियन टन का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। कुल मिलाकर अच्छे कार्यनिष्पादन के बावजूद समिति यह नोट करती है कि भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 224.5 कि.ग्रा. की वैश्विक औसतन खपत की तुलना में प्रतिवर्ष लगभग 74 कि. ग्रा. काफी कम है। इसके अलावा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत का आकलन प्रतिवर्ष 19 कि. ग्रा. किया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। हालांकि कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों और परिणामस्वरूप रेलवे, शिपिंग आदि जैसे बड़े प्रयोक्ता उद्योगों की गिरती मांग जैसी सभी विषमताओं के साथ इस्पात क्षेत्र के, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के पश्चात समिति का यह सुविचारित मत है कि सार्वजनिक इस्पात क्षेत्र का कार्यनिष्पादन इन सभी तरह की अड़चनों के बाद भी सराहनीय रहा है, फिर भी प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत और साथ ही ग्रामीण आवास, कृषि

आदि जैसे अप्रयुक्त क्षेत्रों में, इसे बढ़ाने की अनिवार्य आवश्यकता है जिससे कि देश में इस्पात की सतत मांग का सृजन किया जा सके और कच्चे इस्पात के साथ-साथ तैयार इस्पात के उत्पादन को वर्ष *2030* तक प्रति व्यक्ति *230* कि. ग्रा. की खपत के वांछित स्तर तक लाया जा सके। समिति महसूस करती है कि प्रधान मंत्री आवास योजना *(ग्रामीण और शहरी दोनों)* इस्पात का एक बड़ा उपभोक्ता हो सकती है और चाहती है कि इस संबंध में सरकार की की-गई विशिष्ट कार्रवाई और साथ ही, प्रति व्यक्ति खपत व ग्रामीण खपत के मामले में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया जाए। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, एनबीसीसी और इस तरह के स्टेकहोल्डरों से विचार-विमर्श करें।

6. समिति को बताया गया है कि इस्पात मंत्रालय अपने संबंधित प्रचालन क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन, नागर विमानन, कृषि, ग्रामीण विकास आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ सक्रियता से काम करता रहा है। तेल और गैस के क्षेत्र में घरेलू इस्पात का उपयोग बढ़ाने और स्टील ब्रिजों की डिजायनिंग के लिए कथित तौर पर एक समिति गठित की गई है। इसके अलावा, आवास और निर्माण के क्षेत्र में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का भी गठन किया गया है। समिति इस बात से प्रसन्न है कि भवन निर्माण, निर्माण और आधारभूत संरचना, ऑटोमोबाइल, रेलवे, रक्षा, तेल क्षेत्र, ग्रामीण भारत आदि जैसे क्षेत्रों में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ कई जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। अतः समिति मंत्रालय का इस बात के लिए प्रोत्साहन करना चाहती है कि वे इस्पात के उपयोग के प्रसार की दिशा में उत्सुकतापूर्वक इस तरह की पहल करना और काम करना जारी रखें। समिति का आगे यह भी मानना है कि मंत्रालय की वर्ष *2019* की स्टील स्क्रैप

पॉलिसी कचरा प्रबंधन के मामले में एक प्रशंसनीय पहल है और इस पर संसाधन, पर्यावरण व ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में संरक्षण को लेकर तीन गुणा प्रतिक्रिया मिली है। यह न केवल ग्रीन-स्टील बनाने में सहायक होगी, बल्कि इससे वर्ष *2070* तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने का भारत का मिशन भी आसान होगा। अतः समिति सिफारिश करती है कि एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए नीति को सही तरीके से अपनाया जाना चाहिए।

<u>सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के तहत पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

7. समिति पाती है कि इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसई) में पूंजीगत व्यय के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) का उपयोग किया जाता है और उसका निवेश किया जाता है। सीपीएसई ने वित्त वर्ष *2019-20, 2020-21* और *2021-22* में अपनी संबंधित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के लिए कुल आईईबीआर क्रमशः *9019.26* करोड़ रूपए, *7976.62* करोड़ रूपए और *13302* करोड़ रूपए जुटाए हैं। वित्त वर्ष *2022-23* के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केंद्रीय उद्यमों ने *13302* करोड़ रूपए के अपने कुल आवंटन में से जनवरी, *2022* तक *7586* करोड़ रूपए के व्यय के मुकाबले *13160.95* करोड़ रूपए के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय का आकलन है कि मार्च *2022* तक *13287.89* करोड़ रूपए के व्यय की संभावना है। समिति वर्ष *2021-22* के दौरान सीपीएसई के पूंजीगत परिव्यय के पूर्ण उपयोग की सराहना करते हुए मंत्रालय से यह सिफारिश करती है कि ये सीपीएसई के साम्ययुक्त तिमाही व्यय सुनिश्चित करें और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के निमित्त वित्त वर्ष के अंतिम तीन महीनों के दौरान अत्यधिक व्यय करने से न बचें। समिति चाहती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केंद्रीय उद्यम

वित्तीय समझदारी का अनुपालन करें, विशेषकर तब जब उनमें से कुछ की वित्तीय स्थिति बेहतर न हो ।

पीएलआई योजना

8. समिति नोट करती है कि इस्पात एक विनियमित क्षेत्र होने के नाते, भारत सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक सक्षम माहौल बनाकर एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है। तदनुसार, इस्पात के नोडल मंत्रालय ने देश में इस्पात की अनुमानित उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) *2017* के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। तथापि अभी तक इस्पात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास विशेष प्रोत्साहन/लाभ प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना नहीं थी। अब केवल मंत्रालय ने 'स्पेशलिटी स्टील' के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना शुरू की है जिसमें इस्पात पीएसयू भी लाभग्राही बन सकते हैं। यह पीएलआई योजना वित्त वर्ष *2023-2024* से वित्त वर्ष *2029-2030* तक आगामी *5* साल के लिए *6,332* करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजटीय परिव्यय के साथ लागू की जानी है। इस योजना का उद्देश्य देश को 'स्पेशलिटी ग्रेड स्टील' क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के लिए स्पेशलिटी ग्रेड स्टील को बढ़ावा देना है इससे न केवल आयात पर ऐसे इस्पात की निर्भरता को दूर किया जा सकेगा बल्कि अधिक उत्पादन का निर्यात किया जा सकेगा। समिति यह महसूस करती है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है और चाहती है कि उसे प्राप्त/अनुमोदित आवेदनों की संख्या और की-गई-कार्रवाई स्तर पर दिए गए लाभ से अवगत कराएं।

इस्पात क्षेत्र में मुख्य नीतिगत पहलें

9. समिति यह नोट करते हुए प्रसन्न है कि सरकार द्वारा देश में इस्पात क्षेत्र के निष्पादन को प्रोत्साहित करने, गति देने और विस्तार करने के लिए नीतिगत पहलों की शुरूआत है, अर्थात (एक) गुणवत्ता युक्त इस्पात नियंत्रण आदेशों के प्रावधान के माध्यम से उद्योग, उपयोगकर्ताओं और बड़े पैमाने पर जनता को केवल गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू और आयात से घटिया / दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों को हटाना ; (दो) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 'स्पेशलिटी स्टील' के घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और देश में स्पेशलिटी स्टील' के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिपक्व बनाने में मदद करने और मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना :(तीन) देश के कोविड के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान इस्पात उद्योग को सुविधा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत ' आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत कई छूट; (चार) इस्पात आयात पर गहन डेटा प्रदान करने, घरेलू विनिर्माण की योजना को विनियमित करने के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) संस्थापित करना, (पांच) डीएमआई एंड एसपी नीति (2017), जिसे 2019 और 2020 में संशोधित किया गया है जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस्पात की बिक्री बढ़ाने में सहायक रही है; संभावित निवेशकों की पहचान करने और स्थानीय और वैश्विक दोनों तरह के निवेश आदि की सुविधा के लिए इस्पात मंत्रालय में एक कार्यात्मक परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) आदि जैसे सरकार द्वारा उठाए गए इन नीतिगत पहलों/उपायों की सराहना करते हुए, समिति को विश्वास है कि ये उपाय न केवल घरेलू इस्पात उद्योग में गति बनाए रखने में बल्कि भारत को विश्व में इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में

भी काफी सहायक होंगी। समिति चाहती है कि सरकार घरेलू इस्पात उद्योग संबंधी इन पहलों के प्रभाव/उपलब्धि का आकलन करें और उन्हें अवगत कराए।

10. समिति यह नोट करती है कि सरकार में *74* किलोग्राम की वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाकर *5* गुना अर्थात *300* किलोग्राम करके *2030* तक देश में इस्पात की मांग को बढ़ाकर *300* मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन के लक्ष्य की आवश्यकता का अनुमान करती है। समिति यह भी महसूस करती है कि देश में इस्पात का उत्पादन करते समय ग्रीन इस्टील का उत्पादन करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन प्रौद्योगिकी लाने की तत्काल और अनिवार्य आवश्यकता है। यदि अधिक उत्पादन का विभिन्न देशों में निर्यात जारी रखा जाता है तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। समिति का दृढ़ मत है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकांश इस्पात संयंत्र प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की दृष्टि से अनुपयोगी हो गए हैं, जिन्हें अपनी प्रौद्योगिकी के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। समिति इस बात से अवगत है कि ये इस्पात संयंत्र पूंजी गहन परियोजनाएं हैं जिन्हें अतिरिक्त आवश्यक प्रोद्योगिकीय आवश्यकता के साथ पुनर्गठित/नवीनीकृत किया जा सकता है लेकिन नए संयंत्रों से पूर्णतः प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए लंबी निर्माण अवधि और भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में विशेषकर कोविड के बाद दूरस्थ संभावना है। इसके साथ ही ग्रीन स्टील की नई व्यवस्था में, लागत प्रभावी, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन प्रौद्योगिकी भविष्य में हमारे इस्पात उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अतः समिति सरकार से सिफारिश करती है कि यह उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए भावी योजना और उपयुक्त निवेश योजना से इसे सुदृढ़ बनाए है।

11. समिति आगे यह भी नोट करती है कि भारतीय इस्पात उद्योग काफी हद तक आयातित कोकिंग कोल पर निर्भर रहा है चूंकि कोकिंग कोल की पूरी मांग घरेलू उत्पादन से पूरी नहीं होती है क्योंकि देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले/कोकिंग कोल (लो-ऐश-कोयला) की आपूर्ति सीमित है।यह एक ज्ञात तथ्य है कि देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित अधिकांश कोकिंग कोयले में राख की मात्रा बहुत होती है, जिससे इस्पात के निर्माण में यह अनुपयोगी हो गया, जिसके परिणामस्वरूप *2019-20* में *51.83* मीट्रिक टन और *2020-21* में *51.20* मीट्रिक टन कोकिंग कोल का आयात हुआ। यह बताया गया है कि चूंकि इस्पात उत्पादन में *42%* तक कोकिंग कोल एक प्रमुख लागत कारक है, इसलिए इस्पात मंत्रालय आयात स्थलों में विविधता लाकर कोकिंग कोल पर आयात बिल को कम करने का प्रयास कर रहा है। कोकिंग कोल के संबंध में इस्पात मंत्री, भारत सरकार और ऊर्जा मंत्री, रूसी संघ सहयोग द्वारा *14.10.2021* को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू), एक ऐसी पहल है, जिससे भारत को उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल की आपूर्ति की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के कारण इस्पात कंपनियों के इनपुट लागत में कमी आ सकती है। यह भी बताया गया है कि इस्पात मंत्रालय आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने और देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध गैर-कोकिंग कोयले का अधिकतम उपयोग करने के लिए लौह और इस्पात के लिए कोयला गैसीकरण का उपयोग करने में और स्वदेशी कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता, जो स्वदेशी रूप से उत्पादित कोयले के लिए उपयुक्त है, को स्वीकार करने में आ रही चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कर रहा है। इसके अलावा, इस्पात सीपीएसई के संबंध में इस्पात मंत्रालय, सरकारी कार्गो के आयात के लिए वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को राजकीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत में व्यापारिक जहाजों के फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सरकार द्वारा अनुमोदित योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है। इस

संबंध में, समिति यह बताना चाहती है कि इस दिशा में और अधिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और यह सिफारिश करती है कि इष्टतम और समय तथा लागत प्रभावी परिणामों तक पहुंचने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सामरिक समन्वय होना चाहिए। जहां तक रूस के साथ दिनांक 14.10.2021 को हुये समझौता ज्ञापन का संबंध है, समिति चाहती है कि उसे रूस से खरीदे जा रहे कोकिंग कोल और इसकी आपूर्ति की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाये।

<u>इस्पात क्षेत्र के पीएसयूज़ का निष्पादन</u>

क. <u>सेल</u>

12. समिति नोट करती है कि कोविड के कारण लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद, इस्पात क्षेत्र के निष्पादन अपनी निरंतरता बनाए रखी है। वित्त वर्ष *2021-22* के लिए सेल के कच्चे इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि (सीपीएलवाई) की तुलना में क्रमशः *17%* और *19%* की वृद्धि देखी गई है। समिति नोट करती है जबकि सेल के उत्पादन निष्पादन में सुधार हुआ है, लेकिन इसका निधि का उपयोग और व्यय कम रहा। सेल ने *2021-22* (दिसंबर'*21* तक) में आवंटित ₹*8000* करोड़ में से केवल ₹*4519.00* करोड़ का उपयोग किया है और उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष के अंत तक शेष आवंटन का उपयोग कर लिया जाएगा। समिति *2021-22* के दौरान सेल द्वारा परिव्यय का पूर्ण उपयोग किए जाने की उम्मीद करती है और मंत्रालय/सेल को वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान योजना परिव्यय का आनुपातिक और समान उपयोग सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है।

13. समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष *2021-22* (अप्रैल'*21*-जनवरी'*22*) के दौरान सेल संयंत्रों में कच्चे इस्पात का उत्पादन *87* प्रतिशत रहा, अर्थात कुल स्थापित *16.3* मीट्रिक टन क्षमता के मुकाबले का *14.3* मीट्रिक टन की उत्पादन *19.6* मीट्रिक टन की वास्तविक क्षमता यथानुपात

आधार पर किया गया। यद्यपि वित्त वर्ष 2020-21 (-5.1प्रतिशत परिवर्तन) की तुलना में 2021-22 (+ 17.5 प्रतिशत परिवर्तन) में समग्र कच्चे इस्पात उत्पादन में कुछ सुधार हुआ है लेकिन समिति यह नोट करती है कि कुल उत्पादन में से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास केवल 19.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है जिसमें से लगभग 14 प्रतिशत केवल सेल का हिस्सा है। समिति को यह जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अनुरूप, वर्ष 2030 तक भारत में कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने की परिकल्पना की गई है, सेल के निदेशक मंडल ने "सैद्धांतिक रूप से" 'विजन 2030' को स्वीकृति दे दी है जिसमें 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से सेल की कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता 49.6 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। 2030-31 तक 49.6 मिलियन टन प्रति वर्ष के लक्ष्य को हासिल करने में इन अनुमानों पर विचार करते हुए और सेल की क्षमता और जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए समिति चाहती है कि सेल द्वारा क्षमता विस्तार के इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रोड-मैप से उसे अवगत कराया जाए ।

14. इसके अलावा, समिति नोट करती है कि बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में नए सिंटर प्लांट और सीओबी-8 के पुनर्निर्माण जैसी सेल की चालू प्रमुख परियोजनाएं जिन्हें क्रमशः अक्टूबर, 2017 और जून, 2019 तक पूरा किया जाना था वे विभिन्न कारणों यथा ठेकेदार द्वारा खराब प्रगति, पर्यावरण मंजूरी के नवीनीकरण में देरी, मुख्य ठेकेदार (मैसर्स मेकॉन) द्वारा बैटरी प्रॉपर के सिविल कार्य के लिए ठेका देने में देरी, ठेकेदार द्वारा खराब संसाधन जुटाने आदि कारणों से व्यवधानों का सामना कर रही हैं । कुछ परियोजनाओं में व्यवधानों के मद्देनजर समिति चाहती है कि सेल बोर्ड नियमित समय अंतराल पर इन परियोजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करे और तकनीकी, पर्यावरणीय और ढांचागत संघर्षों / मुद्दों के साथ-साथ समय और लागत में वृद्धि करने वाले अन्य कारकों को हल करे। समिति इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन

में विलंब करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इस्पात मंत्रालय के हस्तक्षेप की भी मांग करती है ताकि उन्हें तेजी से पूरा किया जा सके। समिति चाहती है कि उसे इन परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए इस्पात मंत्रालय/सेल द्वारा किए गए ठोस प्रयासों और की गई प्रगति से अवगत करवाया जाए।

ख. <u>आरआईएनएल</u>

15. समिति पाती है कि *2014-15* में आरआईएनएल द्वारा बनाई गई कॉर्पोरेट योजना *2025* में चरणबद्ध तरीके से *2025* तक *16* मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) तक की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, कंपनी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। यह भी बताया गया कि भारत सरकार की अपनी हिस्सेदारी के *100* प्रतिशत विनिवेश के निर्णय के मद्देनजर, आरआईएनएल किसी भी क्षमता वृद्धि पर विचार नहीं कर रहा है। कंपनी ने वर्ष *2021-22 (*जनवरी *22* तक) के लिए अपनी स्थापित क्षमता का *89%* उपयोग किया है। समिति यह भी नोट करती है कि आरआईएनएल ने पिछले दो वर्षों के दौरान वार्षिक लक्ष्य हासिल किए हैं, यानी *2019-20* के दौरान *₹1400* करोड़ और *2020-21* के दौरान *₹534* करोड़ के परिव्यय के मुकाबले, वास्तविक उपयोग क्रमश; *₹1408.19* करोड़ और *₹737.39* करोड़ था। यह भी देखा गया है कि जहां आरआईएनएल द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में कोई लागत वृद्धि नहीं हुई है, वहीं कोक ओवन बैटरी-*5 (*दिसंबर *20* में चालू) और फोर्ज्ड व्हील प्लांट (सितंबर *21* में लागू) जैसी परियोजनाओं के लिए *36* माह और सेंट्रल डिस्पैच यार्ड (अक्टूबर*'19* में लागू) के लिए *14* माह तक का बहुत अधिक समय लग रहा है। सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय/आरआईएनएल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति चाहती है कि आरआईएनएल लागत में कटौती के उपायों और उन मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करे जो लगातार घाटे को दूर करने के लिए आवश्यक हैं। समिति आशा करती है कि

अपने लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ, आरआईएनएल को अपनी निधि के इष्टतम उपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए और उत्पादन और बिक्री में रिकॉर्ड योग्य उपलब्धियां हासिल करना जारी रखना चाहिए। समिति चाहती है कि आरआईएनएल द्वारा खुद को पुनर्जीवित करने और आर्थिक सुधार हासिल करने के लिए किए गए अथक प्रयासों से उसे अवगत करवाया जाए।

ग. <u>एनएमडीसी लिमिटेड</u>

16. समिति इस बात से प्रसन्न है कि एनएमडीसी लिमिटेड ने इस वर्ष जनवरी, *2022* तक कुछ प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं जैसे *32.87* मीट्रिक टन लौह अयस्क का संचयी उत्पादन और *32.60* मीट्रिक टन की बिक्री, जो स्थापना के बाद से अब तक सबसे अधिक है। जनवरी, *2022* के दौरान कंपनी द्वारा *4.55* मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन और *4.24* मीट्रिक टन की बिक्री भी अपनी स्थापना के बाद से अब तक सबसे अधिक है। इसके साथ ही समिति एनएमडीसी की प्रमुख चालू परियोजनाओं में से एक अर्थात *3.0* एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र नगरनार, छत्तीसगढ़ के संबंध में इन्हीं बातों की नोट करती है जिसे मई *2015* तक पूरा किया जाना था और अब इसे मार्च *2022* तक पूरा किए जाने की योजना है। *82* माह का समय बढ़ गया है और *6415* करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई है, और इस विलंब के कारण हैं- विवाद / ठेकेदारों की अनुपलब्धता, पाइपिंग सिस्टम में संशोधन के कारण पानी के पैकेज में विलंब, काम के दायरे में वृद्धि और परिवर्तन/बाहरी बुनियादी ढांचे की लागत में वृद्धि आदि। दो अन्य प्रमुख चालू परियोजनाएं हैं जैसे स्क्रीनिंग प्लांट- *III*, किरंदुल, सीजी और स्लरी पाइपलाइन परियोजना और इनमें कोई समय या लागत बढ़ने की सूचना नहीं है। एनएमडीसी द्वारा नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, यथा स्क्रीनिंग प्लांट- *II*, डोनिमलाई, कर्नाटक डिपोजिट *14* और *11*सी पर नया क्रशिंग प्लांट और डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम; और किरंदुल परिसर में टाउनशिप आदि जिनमें वर्तमान में कार्य चल रहा है। समिति इस बात का पूर्ण समर्थन करते हुए कि नगरनार, छत्तीसगढ में *3.0*

एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना को इसे शुरू करने की संशोधित तिथि तक पूरा करने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जाएं समिति चाहती है कि इस मामले में कंपनी की कार्य योजना से उसे अवगत कराया जाए। समिति सिफ़ारिश करती है कि नई और आगामी परियोजनाओं पर काम जल्द ही शुरू किया जाना चाहिए और लक्षित समय सीमा के भीतर, इष्टतम निधि और संसाधन उपयोग के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

घ. <u>केआईओसीएल लिमिटेड</u>

17. समिति नोट करती है कि केआईओसीएल ने वित्त वर्ष *2021-22* के लिए *653.60* करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में जनवरी, *2022* तक केवल *262.60* करोड़ रुपये अर्थात अपनी निधि का *40* प्रतिशत निधि का उपयोग किया है और वित्त वर्ष के अंत तक *240.68* करोड़ रुपये का और उपयोग करने का वचन दिया है। यह भी देखा गया है कि केआईओसीएल वित्त वर्ष *2018-19* से अपनी स्थापित क्षमता का केवल *60-70%* उपयोग कर रहा है। केआईओसीएल द्वारा वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी का कारण कोविड-*19* प्रतिबंधों के कारण मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस यूनिट परियोजना में फॉरवर्ड (डक्टाइल आयरन स्पन पाइप) और बैकवर्ड (कोक ओवन प्लांट) एकीकरण परियोजनाओं में विलंब, भारत सरकार की सार्वजनिक प्रापण नीति में बदलाव; भारत में कोक ओवन प्लांट और डक्टाइल आयरन स्पन पाइप प्लांट के लिए प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता की अनुपलब्धता; और चरण-*I* वन मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के प्रक्रियाधीन होने के कारण देवदारी लौह अयस्क खनन परियोजना में विलंब रहा। समिति ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष *2022-23* के लिए केआईओसीएल की आईईबीआर *384.63* करोड़ रुपये है जिसका देवदारी लौह अयस्क खदान, ब्लास्ट फर्नेस यूनिट- फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल प्रेशर फिल्टर प्रोजेक्ट, आधुनिकीकरण, उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास केंद्र, और विविध,

पूंजीगत मुद्दो और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों सहित योजनाओं/कार्यक्रमों में उपयोग किया जाएगा। । समिति यह पाती है कि यद्यपि केआईओसीएल द्वारा वर्ष *2020-21* के दौरान (जनवरी'22 तक) निधियों के वास्तविक उपयोग की तुलना में वर्ष *2021-22* के दौरान निधियों का वास्तविक उपयोग थोड़ा बेहतर (आरई ₹*653.60* करोड़ में से ₹*262.60* करोड़) रहा है, योजना परिव्यय का प्रतिशत उपयोग अभी भी निचले स्तर पर है। इसलिए, समिति सिफ़ारिश करती है कि कंपनी, निधियों के कम उपयोग के कारणों का अच्छी तरह से मूल्यांकन करे और *2022-23* के दौरान निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाए। समिति को इस संबंध में केआईओसीएल की कार्य योजना से अवगत करवाया जाए।

ङ. <u>मॉयल (एमओआईएल) लिमिटेड</u>

18. समिति नोट करती है कि मॉयल ने वित्त वर्ष *2021-22* में अपने आईईबीआर/बजट अनुमान *293.50* करोड़ रुपये में से जनवरी, *2022* तक *176.47* करोड़ रुपये का उपयोग किया है, और वर्ष के समाप्त होने से पहले शेष धनराशि का उपयोग करने की आशा की है। यह देखा गया है कि अपनी स्थापित क्षमता का केवल *70%* उपयोग करने के बावजूद और पिछले वर्ष अधिक खर्च करने के बावजूद (अर्थात *2020-21* में *136.66* करोड़ रुपये की तुलना में *176.47* करोड़ रुपये) । कंपनी का मैंगनीज अयस्क उत्पादन भी *2018-19* में *13.01* लाख मीट्रिक टन से घटकर *2020-21* में *11.44* लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसके अलावा, समिति ने पाया कि मॉयल ने अपनी कुछ प्रमुख चालू परियोजनाओं जैसे हाई स्पीड शाफ्ट की सिंकिंग और बालाघाट खान जिला- बालाघाट में संबद्ध कार्यों और गुमगांव खान जिला-नागपुर में हाई स्पीड शाफ्ट और संबद्ध कार्यों में माल और जनशक्ति की आवाजाही में महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण *20* माह तक विलंब देखा है। समिति यह मानती है कि चूंकि एमओआईएल, मैंगनीज अयस्क की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव के साथ एक अस्थिर बाजार में काम करता है, इसे

इन चुनौतियों के बावजूद अपने संसाधनों का विस्तार करना जारी रखना चाहिए और अपनी प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने पर काम करना चाहिए और आगामी वर्षों में वास्तविक और वित्तीय दोनों तरह से अपने प्रदर्शन को बढ़ाना चाहिए। समिति चाहती है कि *2030* तक देश में *300* मिलियन टन कच्चे लौह अयस्क उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु अपने मैंगनीज अयस्क उत्पादन को बढ़ाने के लिए मॉयल की कार्य योजना से उसे अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;
21 मार्च, 2022
30 फाल्गुन, 1943 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति

अनुबंध-I

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति(2021-2022) की मंगलवार, 22 फरवरी, 2022 को समिति कमरा सं.'2' ,ब्लॉक-ए, प्रथम तल, संसदीय सौध विस्तार,नई दिल्ली में हुई पांचवी बैठक का कार्यवाही सांराश ।

समिति की बैठक 1130 बजे से 1330 बजे तक हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री राकेश सिंह- सभापति

लोक सभा

2. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर
3. श्री कुनार हेम्ब्रम
4. श्री सी. लालरोसांगा
5. श्री एस.आर. पार्थिबन
6. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
7. श्री चुन्नी लाल साहू
8. श्री अरूण साव
9. श्री पशुपति नाथ सिंह
10. श्री सुशील कुमार सिंह
11. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
12. डॉ. थोल तिरुमावलवन

राज्य सभा

13. डॉ. विकास महात्मे
14. डॉ. प्रशांत नन्दा
15. श्री बी.लिंग्याह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री यू. सी. भारद्वाज	-	अपर निदेशक
4.	श्रीमती गीता परमार	-	अपर निदेशक

साक्षी

<u>इस्पात मंत्रालय</u>

1. श्री संजय कुमार सिंह, सचिव
2. श्रीमती रसिका चौबे, अपर सचिव
3. श्रीमती सुकृति लिखी, अपर सचिव और वित्त सलाहकार
4. श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल, अपर सचिव
5. श्री पुनीत कंसल संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय

<u>इस्पात पीएसयूज</u>

6. श्रीमती सोमा मंडल, चेयरमैन, सेल
7. श्री अतुल भट्ट, सीएमडी, आरआईएनएल
8. श्री सुमित देब, सीएमडी, एनएमडीसी
9. श्री एम.पी. चौधरी, सीएमडी, एमओआईएल
10. श्री सलिल कुमार सीएमडी, एमईसीओएन
11. श्री सुरिंदर कुमार गुप्ता, सीएमडी, एमएसटीसी
12. श्री टी. सामीनाथन, सीएमडी, केआईओसीएल

2. सर्वप्रथम, सभापति ने इस्पात मंत्रालय के सचिव और अन्य प्रतिनिधियों के साथ-साथ इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के प्रतिनिधियों का उनकी अनुदान की मांगों (2022-

23) की जांच के लिए आयोजित समिति की बैठक में स्वागत किया । तत्पश्चात, सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात, उन्होंने प्रतिनिधियों को अपना परिचय देने का निदेश दिया।

3. इसके बाद,इस्पात मंत्रालय के सचिव ने समिति को देश में इस्पात क्षेत्र के लिए समन्वयकों और आयोजकों के रूप में उनकी भूमिका के साथ-साथ चालू वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने समिति को आगे बताया कि इस वर्ष के दौरान इस्पात उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में 118 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। पिछले वर्ष सेल द्वारा 17.32 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया गया था। उन्होंने रखरखाव पर लगभग 33% खर्च करने की भी परिकल्पना की क्योंकि सीपीएसयू के सभी संयंत्र बहुत पुराने हैं और उनके नियमित रखरखाव की आवश्यकता है। समिति को बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निदेशानुसार, मंत्रालय 2022-2047 तक की अवधि के लिए अमृतकाल हेतु एक विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है, जिसमें इस्पात की क्षमता 140 एमटी से बढ़कर 500 एमटी करने और प्रति व्यक्ति खपत को चार गुना बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने घरेलू इस्पात उद्योग द्वारा अपनी दैनिक गतिविधियों में सामना की जा रही विभिन्न बाधाओं, जैसाकि प्रति व्यक्ति इस्पात की कम खपत, पुरानी प्रौद्योगिकी, प्रदूषण, देश में कोकिंग कोल का कम उत्पादन, इस पर भारी आयात शुल्क आदि को इंगित किया। इससे निपटने के लिए, इस्पात उद्योग दो मिशन स्थापित करने पर भी काम कर रहा है: एक इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा रोबोटिक्स और दूसरा 'ग्रीन स्टील' का उत्पादन। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों की कुछ विशेष उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया।

4. तत्पश्चात, समिति ने इस्पात मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, चालू वित्त वर्ष के दौरान इस्पात मंत्रालय और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा योजना परिव्यय के उपयोग संबंधित मुद्दों, अनुसंधान और विकास पहलों के लिए निधियों के अपर्याप्त आवंटन के कारण मंत्रालय द्वारा सामना की गई पीएलआई योजना संबंधी बाधाओं; विभिन्न इस्पात पीएसयूज के कार्य निष्पादन और चालू वर्ष के दौरान उनके निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों, और आगामी वर्ष में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे उपायों के संबंध में भी

कुछ स्पष्टीकरण मांगे। ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ाने के साथ-साथ हवाई अड्डों के निर्माण का भी सुझाव दिया गया।

5. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। तत्पश्चात, सभापति ने इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए थे, उनके लिखित उत्तर दस दिनों के भीतर समिति की बैठक के दौरान देने का निदेश दिया।

6. माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों और मंत्रालय तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को समिति की बैठक में सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।